हदीस माला
अलग अलग विषयों पर
चुनी हुई 183 हदीसें
मकतबा अल हसानात

हदीस माला

(प्यारे नबी की प्यारी बातें)
(सल्ल० अ० व०)

मौलाना जलील अहसन नदवी
की किताब "राहे अमल" से चुनी हुई हदीसें

अनुवाद
मन्ज़ूर फ़ाख़िर, बी० ए०

प्रकाशक
मकतबा अल हसनात नई दिल्ली

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो
निहायत रहम वाला और महरबान है

पहली बात

हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ फ़रमाया या जो काम किया या हुजूर के सामने कोई काम किया गया और आप (सल्ल0) उसे देख कर ख़ामोश रहे, ऐसी तमाम बातों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा (साथियों) ने याद रखा और उन्हें दूसरों को सुनाया। यही सब बातें हदीस कहलाती हैं। इन सब बातों में लोगों के लिए हिदायतें हैं। इन से ही यह मालूम होता है के कौन से काम खुदा को खुश करने वाले हैं और वे कौन से काम हैं जो खुदा को पसन्द नहीं हैं। कौन से काम करने से इन्सान को कामयाबी मिलेगी और वे काम कौन से हैं जिनके करने से वह नुक़सान उठायेगा।

अल्लाह तआला ने अपने बन्दों पर अनगिनत एहसान किए हैं जिन का हिसाब लगाना किसी के बस की बात नहीं लेकिन सारे एहसानों में अल्लाह तआला का सब से बड़ा एहसान यह है कि उसने इन्सानों को सीधा रास्ता दिखाने का इन्तज़ाम किया। इसके लिए उसने हर ज़माने में अपनी किताबें

उतारी। इन आसमानी किताबो में इन्सानो को जिन्दगी का सीधा रास्ता बताया गया है जिस मर चल कर वह कामयाब हो सकते हैं और जिस से मुँह मोड़ने पर उन के लिए तबाही के सिवा कुछ नहीं अल्लाह की भेजी हुई यह हिदायतें हर ज़माने में आईं और हर देश में आईं लेकिन जब तक इन्सान ने लिखना पढ़ना नहीं सीखा था। वह इन हिदायतों को पूरी तरह याद नहीं रख सका यह अल्लाह की मेहरबानी थी कि उस ने बार बार इन्सान को रास्ता दिखाने का इन्तज़ाम जारी रखा। एक के बाद एक रसूल आते रहे, लोगों को सीधा रास्ता दिखाते रहे। यहाँ तक की वह ज़माना आ गया जब इन्सान को खुदा की हिदायत को अपनी मुकम्मल सूरत में और आखिरी तौर पर दिया जाना मुमकिन हो गया। इसी लिए अल्लाह तआला की तरफ़ से उसकी मुकम्मल हिदायत अपनी आखिरी शकल में आ गई। यह हिदायत दुनिया वालों को हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए मिली। इसका नाम "कुरआन" है। कुरआन में सारी बुनियादी बातें बताई गई हैं लेकिन कुरआन के बताए हुए रास्ते पर कैसे चलना चाहिए और उस में दिए हुए आदेशों पर किस तरह अमल करना चाहिए इस बात को खोल कर बताने के लिए अल्लाह तआला ने अपनी किताब अपने रसूल के ज़रिए भेजी जिन का नाम हज़रज मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है।

हज़रज मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बताई हुई बातों को समझाया। कुरआन में बताई हुई हिदायतों के मुताबिक़ जिन्दगी गुज़ार कर दिखाई और इस काम के लिए

आप (सल्ल0) ने समय समय पर बहुत सी बातें समझाईं, कुछ हिदायतें भी दीं और उन पर खुद अमल कर के दिखाया इस तरह ठीक ठीक यह बता दिया के खुदा की हिदायतों पर हमें कैसे चलना चाहिए।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे साथी जो आप पर ईमान लाए और जो आप के साथ उठते बैठते रहे उन्होंने प्यारे नबी की बातों को याद रखा। आप जो कुछ करते थे उसे अच्छी तरह देखा और वैसा ही खुद भी किया यहाँ तक कि अगर कभी हुज़ूर के सामने कोई काम किया गया और हुज़ूर ने उसे देख कर टोका नहीं तो इन प्यारे साथियों ने उसे भी याद रखा। इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कुछ सीखा था वह सब दुसरों को बताया। इसी को हम हदीस कहते हैं। दीन की बातें अच्छी तरह समझने के लिए हदीस बहुत ज़रूरी है। हदीस के बिना जो कोई दीन पर चलने की कोशिश करेगा वह ठोकर खाएगा और सीधे रास्ते से भटक जाएगा। दीन पर ठीक ठीक चलने के लिए कुरआन के साथ हदीस का जानना भी ज़रूरी है।

यूँ तो हदीस की ठीक ठीक जानकारी हर आदमी के बस की बात नहीं। इसके लिए तो ऊँचे ज्ञान की ज़रूरत है, लेकिन प्यारे नबी सल्ल0 ने जो कुछ फ़रमाया है उसमें स थोड़ी बहुत बातें हम में से हर एक को जानना चाहिए। इस काम के लिए उर्दु में तो बहुत सी किताबें मिलती हैं लेकिन इन से वह लोग फ़ायदा नहीं उठा सकते जो उर्दु नहीं जानते ख़ास तौर पर हमारे वह नौजवान जो आज कल सरकारी स्कूलों में पढ़

रहे हैं उन की जानकारी के लिए यह बहुत ज़रूरी है के उनहें कुछ न कुछ बातें आसान हिन्दी में बताई जाती रहें। बस इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए यह छोटी सी किताब हम ने तैयार कराई है। इस किताब में ऐसी हदीसें इकट्ठा कर दी गई हैं जो हमार लिए हमारी रोज़ाना ज़िन्दगी में काम आने वाली हैं। हमें उम्मीद है कि पढ़ने वाले इन से ज़रूर लाभ उठाऐंगे। बस शर्त यह है कि पढ़ने वाला इन्हें इस नियत से पढ़े कि उसे प्यारे नबी की इन प्यारी बातों से कुछ रौशनी हासिल करनी है और यहाँ उसे जो कुछ मिलेगा उस पर अमल करना है। रहे वह लोग जो इसे किसी और नियत से पढ़ेंगे उन्हें कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो सकेगा।

इस पुस्तक में जो हदीसें हैं वह हमारे यहाँ से छपीं हदीसों की किताब "राहे अमल" से ली गई हैं। यह किताब उर्दु में मौलाना जलील अहसन साहब नदवी ने लिखी है और यह बहुत पसंद की गई है। इस किताब में 440 हदीसें हैं। इनमें से 183 हदीसें हम ने अलग अलग शीर्षकों से चुन ली हैं। इन हदीसों का हिन्दी अनुवाद मंज़ूर फ़ाख़िर साहब बी०ए० ने किया है जो हमारे तसनीफ़ व तालीफ़ के विभाग में हमारे सहायक हैं।अल्लाह तआला से दुआ है कि वह हमारी कोशिश को कुबूल फ़रमाए और पढ़ने वालों के लिए मुफ़ीद बनाए।

अबु सलीम मुहम्मद अब्दुल हई रह०

दिनाँक

11 रमज़ान उल मुबारक

1389 हि०

विषय सूची

नीयत के बारे में

1. हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ि0 ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, "कर्मों का फल नियतों पर है। हर एक को वही मिलेगा जिस का उस ने इरादा किया होगा। तो जिस ने अल्लाह व रसूल के लिए हिजरत की होगी (घर छोड़ा होगा) उसी की हिजरत सच मुच हिजरत होगी और जिस की हिजरत दुनिया हासिल करने या किसी औरत से शादी करने के लिए होगी तो उस की हिजरत दुनिया के लिए या औरत के लिए ही समझी जाएगी।"

{मुत्तफ़क़ अलैह}

यह हदीस उन हदीसों में से एक ख़ास हदीस है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्सान को और उसके जीवन को सुधारने और संवारने के लिए फ़रमाई हैं। इस हदीस में एक शब्द है 'हिजरत', हिजरत का मतलब है के आदमी अपने दीन को बचाने के लिए अपने घर–बार, भाई–बन्धु और अपना देश आदि छोड़ कर किसी दूसरी जगह चला जाए जहाँ वह अपने दीन पर क़ायम रह सके। हिजरत की मिसाल देकर इस हदीस में रसूलुल्लाह सलल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह समझाया है, के जैसी इन्सान की नियत

होगी उसी के मुताबिक़ उसे आख़िरत में उस के कर्मों का अच्छा या बुरा फल मिलेगा। अगर अल्लाह को ख़ुश करने की नियत से काम किया है तो उस से ख़ुश होकर अल्लाह–तआला आख़िरत में अच्छा बदला देगा और अगर उस ने अपने काम के लिए या धन दौलत के लालच में या किसी ऐसे ही दूसरे इरादे से अच्छा काम किया है तो ऐसे काम से अल्लाह ख़ुश नहीं होगा। इस बात को समझाने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की मिसाल देकर इस तरह समझाया है कि यदि कोई औरत हिजरत करके किसी दूसरे देश चली जाती है और एक शख़्स उस से शादी करने के इरादे से अपने वतन को छोड़ देता है तो इस तरह हिजरत का मक़सद औरत से शादी करना है या कोई आदमी किसी दूसरे देश में नौकरी करने के इरादे से अपने वतन को छोड़ देता है तो स्पष्ट है कि इस हिजरत का मक़सद नौकरी हासिल करना है। ऐसी हिजरत का सवाब (बदला) उसे नहीं मिलेगा।

✦✦✦

2. हज़रत अबु हुरैरा ;रजि0द्ध कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया (आख़िरत के दिन) "अल्लाह तुम्हारा रंग रूप और तुम्हारा धन नहीं देखेगा बल्कि तुम्हारे दिलों और तूम्हारे कर्मों को देखेगा।"

{मुस्लिम}

यह हदीस भी इन्सान के इरादे और नियत के बारे में है। इस में समझाया गया है के क़यामत के दिन जब इन्सान अल्लाह के सामने हाज़िर होंगे और अल्लाह तआला दुनिया में किए गए कामो का फ़ैसला फ़रमाएगा तो वह यह नहीं देखेगा कि कौन शख़्स दुनिया में मालदार था या कौन आदमी सुन्दर था या कौन एक अच्छे ख़ानदान में पैदा हुआ था। अल्लाह तो नियतों के मुताबिक़ फ़ैसला करेगा यदि आदमी ने दुनिया में अच्छे काम किए होंगे और इस नियत से किए होंगे के मेरे इन कामों से अल्लाह तआला खुश होगा तो आदमी की ऐसी नियत से ही असल में अल्लाह तआला को ख़ुशी होगी और वह उस से राज़ी हो कर उसे जन्नत में दाख़िल करेगा। और यदि आदमी ने काम तो अच्छे ही किए हों लेकिन या तो अपना नाम करने के लिए किए हों या धन के लालच में किए हों तो ऐसे दिखावे के कामों पर अल्लाह तआला इनाम देने के बदले उन्हें अकारत कर देगा और उलटा अज़ाब (दंड) देगा।

✦✦✦✦✦✦✦

ईमान के बारे में

अल्लाह पर ईमान

3. हज़रत मआज़ बिन जबल रज़ि० फ़रमाते हैं कि, (एक सफ़र में) "मैं आप के पीछे सवारी पर बैठा हुआ था, मेरे तथा आप के बीच कुजावे का पिछला हिस्सा था, आप ने फ़रमाया, ऐ मआज़ बिन जबल!' मैं ने कहा, हुज़ूर ग़ुलाम हाज़िर है, फ़रमाऐं, (आप थोड़ी देर ख़ामोश रहे) फिर कुछ दूर चलने के बाद पुकारा, 'ऐ मआज़ बिन जबल!' मैं ने फिर यही शब्द कहे थे, (लेकिन आप ने कुछ भी नहीं कहा) फिर कुछ दूर चलने के बाद आप ने पुकारा, 'मआज़ बिन जबल!' मैं ने तीसरी बार भी फिर वही कहा, (यानी हुज़ूर ग़ुलाम हाज़िर है, फ़रमाऐं) तब आप ने फ़रमाया, 'तुम जानते हो अल्लाह का बन्दों पर क्या हक़ है? मैं ने कहा अललाह और उस के रसूल ही अच्छी तरह जानते हैं। आप ने फ़रमाया अल्लाह का हक़ बन्दों पर यह है कि वह उसी की इबादत करें इबादत में किसी और को ज़रा भी साझी ना बनाऐं। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद फ़रमाया ऐ मआज़ ! मैं ने कहा फ़रमाईये मैं आप की बात बड़े ध्यान से सुन रहा हूँ और आप जो कुछ फ़रमाऐंगे वैसा ही करूँगा। अब आप ने फ़रमाया क्या तुम जानते हो कि बन्दों का अल्लाह पर क्या

हक़ है? मैं ने कहा अल्लाह व रसूल ही अच्छी तरह जानते हैं। आप ने फ़रमाया अल्लाह की बन्दगी करने वाले बन्दों का अल्लाह पर यह हक़ है कि वह उन्हें अज़ाब ना दे।"

{बुखारी व मुस्लिम}

हज़रत मआज़ के कहने का मतलब यह है कि मैं हजूर सल्ल० के बिल्कुल पास बैठा हुआ था। आप जो फ़रमाते थे मैं अच्छी तरह सुन लेता था लेकिन जो बात आप कहना चाहते थे वह बहुत ही ज़रूरी (महत्व की) बात थी। इसी लिए आप ने तीन बार पुकारा ताकि मैं अच्छी तरह समझ लूँ कि हुज़ूर कोई बहुत ही बड़ी बात बताना चाहते हैं। हुज़ूर के इस तरह फ़रमाने के बाद मैं बेचैनी से हुज़ूर की ओर देखने लगा ताकि हुज़ूर वह बात बताऐं और मैं पूरे ध्यान से सुनूं। तब हुज़ूर ने तौहीद और शिर्क के बारे में फ़रमाया कि अल्लाह तआला इन्सान की सभी ग़लतियों को मुआफ़ (क्षमा) कर देगा लेकिन इस बात को कभी भी मुआफ़ नहीं करेगा कि उस के बन्दे उसकी बन्दगी में किसी और को साझी बनाऐं। बन्दों पर यही हक़ नबी सल्ल० ने बताया और बन्दों का अल्लाह पर हक़ यह बताया कि यदि वह शिर्क* ना करें तो अल्लाह उन्हें अज़ाब नहीं देगा। अब यह हमारा काम है कि हम जहन्नम के अज़ाब से बचने के लिए शिर्क ना करें।

✦✦✦

* अल्लाह के साथ किसी और को साझीदार ठहराना।

4. *हज़रत अनस रज़ि कहते हैं कि नबी सल्ल० ने जब भी भाषण दिया उस में यह ज़रूर फ़रमाया कि "जिस के अन्दर अमानत दारी नहीं उस के अन्दर ईमान नहीं और जो वचन दे कर उसे पूरा नहीं करता उस के पास दीन नहीं।"*

{मिश्कात}

इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्ल० ने ईमान की दो ख़ास पहचान बताई हैं। एक पहचान तो यह है कि ईमान रखने वाला आदमी अमानतदार होता है और दूसरी पहचान यह है कि वह अपने वचन का पालन करता है। अमानत दार होने का मतलब यह है कि कोई चीज़ किसी आदमी के पास अमानत के रूप में रखी जाए और वह उस में कोई ख़्यानत ना करे और माँगे जाने पर ज्यों की त्यों वापस कर दे, तो ऐसा गुण रखने वाले आदमी को अमानतदार कहते हैं। और वचन के पालन करने का मतलब यह है कि वादा कर के उसे पूरा किया जाए। यानी हर क़ीमत पर अपने वादे को पूरा करे। तो यह दो ऐसे गुण हैं जिन के होने से एक आदमी पक्का मुसलमान होता है। ज़ाहिर है कि अमानतदार वही शख़्स हो सकता है जिसे ख़ुदा का डर हो और जो किसी की अमानत को पूरी हिफ़ाज़त (सुरक्षा) के साथ कुछ घटाए बढ़ाए बिना ज्यों की त्यों लौटादे तो ऐसे व्यक्ति को ही पक्का ईमान रखने वाला आदमी कह सकते हैं। लेकिन उस के अन्दर अमानत का ख़्याल न हो और

अपने वचन को पूरा करने की चिन्ता भी न हो तो यह समझना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति का ईमान भी कच्चा है। और दीन भी।

✦✦✦

5. रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया कि,
"जिस ने अललाह के लिए दोस्ती की और अल्लाह के लिए दुश्मनी की और अल्लाह के लिए रोक रखा, उस ने ईमान को पूरा कर लिया।"

{बुख़ारी}

इस हदीस का मतलब यह है कि हमारे सारे काम अल्लाह तआला की खुशी के लिए होना चाहिए अर्थात जिन कामों को हम करें वह इसलिए करें कि उन के करने से अल्लाह खुश होगा और जिन कामो को हम न करें वह इसलिए नहीं करें कि उन के करने से अल्लाह तआला नाराज़ होगा। लोगों के साथ हमारी दोस्ती और मिलना जुलना या हमारी दुश्मनी या सम्बन्ध तोड़ देना सब कुछ खुदा की आज्ञा के मुताबिक़ हो जैसे यदि कोई शख़्स हमें दीन की तरफ़ बुलाए और हम यह सोच कर कि वह खुदा का एक नेक बन्दा है और इस ख़याल से हम उस से मिलने जुलने लगें तो इस का मतलब अल्लाह के लिए मिलना होगा। इसके विपरीत अगर कोई शख़्स अल्लाह के हुक्मों के ख़िलाफ़ काम करता है और समाज में बहुत बदनाम समझा जाता है तो उस से

इसलिए मिलना जुलना छोड़ दिया जाए कि उस के साथ मेल जोल और उठने बैठने से अल्लाह नाखुश होगा, तो इस का मतलब अल्लाह के लिए मिलना कहा जाएगा। इसी तरह अगर कोई अल्लाह को खुश करने के लिए जाइज़ कामों में माल देगा और नाजाइज़ कामों में माल न देगा तो यह भी उस के ईमान के मज़बूत और पूरा होने की निशानी है।

✦✦✦

6. हुज़ूर सल्ल० फ़रमाते हैं कि "जिस शख़्स ने अल्लाह को अपना रब मान लिया, इस्लाम को अपना दीन मान लिया और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रसूल मान लिया, ऐसे आदमी ने ही ईमान का मज़ा चखा।"

{बुख़ारी व मुस्लिम}

इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह समझाने की कोशिश की है कि आदमी अपने ईमान का मज़ा (आनंद) उसी समय उठा सकता है जब कि वह पूरी तरह अल्लाह तआला का फ़रमाबरदार (ईशवर भक्त) बन जाए। यानी जिन बातों को करने का अल्लाह तआला ने हुक्म दिया है उन का पूरी तरह पालन करे और जिन कामों या बातों के करने से अल्लाह तआला ने रोका है उन को ना करे। अल्लाह तआला को रब मानने और उस की फ़रमाबरदारी (ईशवर भक्ति) का यही मतलब है। दूसरी बात यह है कि

अल्लाह ने मनुष्यों के लिए जो दीन पसन्द किया है वह इस्लाम है इसी के अनुसार अपनी ज़िन्दगी बसर करने लगे। इस का अर्थ यह है कि आदमी इस्लाम को ही सच्चा दीन समझे। जो नियम और क़ानून अल्लाह तआला ने कुरआन के द्वारा बता दिए हैं उन्हीं के मुताबिक़ इन्सान दुनिया में अपना जीवन गुज़ारे। और तीसरी बात जो इस हदीस में फ़रमाई गई है वह यह है कि आदमी हुज़ूर सल्ल0 को दिल से खुदा का रसूल (दूत) मान कर और एक सच्चा रहनुमा (पथ–प्रदर्शक) जान कर पूरी तरह सन्तुष्ट (मुतमईन) हो जाए। यानी आदमी पूरे विशवास के साथ यह समझे कि मुहम्मद सल्ल0 अल्लाह तआला के सच्चे रसूल हैं और हुज़ूर सल्ल0 के अतिरिक्त किसी और के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलना है। इस तरह इन तीनों बातों का जिस आदमी ने पूरी तरह पालन किया उसी ने असल में ईमान का मज़ा (आनंद) पाया और ऐसा आदमी ही अपने जीवन में सफ़ल हो गया।

✦✦✦

रसूल पर ईमान

7. हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि, "सब से अच्छी बात कुरआन मजीद की बात और सब से अच्छा चरित्र मुहम्मद सल्ल0 का चरित्र है।"

{मुस्लिम, जाबिर रज़ि0}

सब से अच्छी बात का क्या मतलब है?

सब से अच्छी बात का यह मतलब है कि वह बात सरल हो, सच्ची हो, लोगों के दिलों पर असर करने वाली हो और उन के जीवन को बदल देने वाली हो तो स्पष्ट है यह सारे गुण अल्लाह तआला की किताब कुरआन मजीद में ही हो सकते हैं क्योंकि यह अल्लाह तआला का कलाम है। और सब से अच्छा चरित्र मुहम्मद सल्ल0 का चरित्र है इसका मतलब भी सपष्ट ही है यानी अल्लाह तआला ने जो कुछ फ़रमाया जो हुक्म दिए, मनुष्य के लिए जो क़ानून बनाए, मुहम्मद सल्ल0 ने पूरी ईमानदारी और फ़रमाबरदारी (ईशवर भक्ति) के साथ उन का पालन किया और उन के अनुसार अपना पूरा जीवन गुज़ारा, तो वास्तव में मुहम्मद सल्ल0 का चरित्र ही सब से अच्छा चरित्र हो सकता है इसलिए हमें हुज़ूर सल्ल0 के चरित्र को ही नमूना (आदर्श) समझ कर अपने चरित्र को बनाना चाहिए।

✦✦✦

8. हज़रत अनस (रजि0) कहते हैं कि हुज़ूर सल्ल0 ने मुझ से फ़रमाया कि "हे मेरे प्यारे बेटे! अगर तू इस तरह जिन्दगी गुज़ार सके कि तेरे दिल में किसी के लिए बुराई का ख़्याल न हो तो ऐसी ही जिन्दगी बसर कर? फिर फ़रमाया ' और यही मेरा तरीक़ा है (कि मेरे दिल में किसी के लिए खोट नहीं) और जिस ने मेरी सुन्नत (तरीक़े) को अपनाया तो सच मुच उस ने मुझ से मुहब्बत

की और जिस ने मुझ से मुहब्बत की वह जन्नत में मेरे साथ रहेगा।"

{मुस्लिम}

✦✦✦

9. अब्दुल्लाह बिन उमर (रजि) कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल0 ने फ़रमाया कि "तुम में से कोई शख़्स उस समय तक पक्का मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उस का इरादा और उस का मन मेरी लाई हुई किताब (कुरआन मजीद) का ताबेदार (आज्ञाकारी) न हो जाए।"

{मिश्कात}

इस हदीस में एक पक्के मोमिन की पहचान बताई गई है कि एक पक्के मोमिन को कैसा होना चाहिए। हुजूर सल्ल0 ने एक सच्चे मोमिन के बारे में बताया है कि सच्चा मोमिन वह है कि जो अपने लिए वही पसन्द करे जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया हो और जिसको मैं ने करने की नसीहत की हो। भले ही वह काम उस की इच्छा के मुताबिक़ न हो। इस बात को हम एक मिसाल से इस तरह समझ सकते हैं कि मानो किसी शख़्स को सड़क पर रूपयों की एक थेली पड़ी हुई मिले और उसे देख कर उस का मन ललचाने लगे और वह पह सोचने लगे कि क्यों न में इस को उठा लूँ, क्योकि न तो कोई देख रहा है और न ही कोई पकड़ने वाला है, लेकिन फिर यह

ख़्याल कर के कि खुदा और उस के रसूल ने ऐसा करने से मना किया है यह सोच कर वह अपने मन की बात न माने बल्कि अपने मन के ख़िलाफ़ अल्लाह और रसूल के हुक्म और आदेश पर चले। ऐसे ही शख़्स को हुज़ूर सल्ल० ने पक्का मोमिन बताया है।

✦✦✦

क़ुरआन पर ईमान

10. हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० ने फ़रमाया है कि "जो आदमी अल्लाह तआला की किताब के अनुसार अपनी जिन्दगी गुज़ारेगा, वह न तो दुनिया में भटकेगा और न ही आख़िरत में नाकाम होगा।" फिर उनहोंने एक आयत पढ़ी जिस का मतलब यह है कि जो शख़्स मेरी किताब के हुक्मों पर चलेगा वह दुनिया में कभी बुरे रास्ते पर नहीं पड़ेगा। हमेशा सीधे रास्ते पर रहेगा औरक़यामत के दिन जहन्नम के अज़ाब से बच जाएगा।"

{मिश्क़ात}

तक़दीर पर ईमान

11. अबी ख़िज़ामा रज़ि कहते हैं कि, "मेरे वालिद (पिता) ने कहा कि मैं ने हुज़ूर सल्ल०

से पूछा कि वह दुआ तावीज़ जिसे हम अपनी बीमारियों के सिलसिले में करते हैं और यह दवाऐं (औषधियाँ) जो हम अपने रोगों को दूर करने के लिए प्रयोग करते हैं और दुखों व मुसीबतों से बचने के लिए जो तरकीबें इस्तेमाल करते हैं, क्या यह अल्लाह की लिखी तक़दीर को टाल सकती हैं?" (इस सवाल के जवाब में) हुज़ूर सल्ल0 ने फ़रमाया कि "यह सब चीजें भी तो अल्लाह की लिखी तक़दीर में से हैं।"

{तिरमिज़ी}

12. हुजूर सल्ल0 ने फ़रमाया कि "कमजोर मोमिन के मुकाबले में ताक़तवर मोमिन अच्छा और खुदा को बहुत पसन्द है। और दोनों में ही भलाई है और तू (आख़िरत में) फ़ायदा देने वाली चीज़ को चाहने वाला बन, अपने बुरे वक़्त में खुदा से मदद माँग, हिम्मत न हार और अगर तुझ पर कोई मुसिबत आ पड़े तो यह मत सोच कि यदि मैं ऐसा करता तो ऐसा हो जाता बल्कि यूं सोच कि अल्लाह ने तक़दीर (भाग्य) में ही ऐसा लिख दिया था जो उस ने चाहा वह किया--इसलिए कि "यदि" का शब्द शैतान के अमल (कार्य) का दरवाजा खोलता है।"

{मिश्कात-अबु हुरैरा रज़ि}

हदीस के पहले हिस्से का मतलब यह है कि एक तो वह मोमिन है जिस का शरीर भी ताक़तवर होता है और दिमाग़ (मस्तिष्क) भी ! ऐसा मोमिन जब अपनी सारी ताक़त खुदा के रास्ते में ख़र्च करेगा तो दीन का काम उस के द्वारा बहुत ज़्यादा होगा। जब कि कमज़ोर शख़्स से जिस की सेहत (स्वास्थ्य) ख़राब है, या सोच विचार के एतबार से भी ऊँचे दरजे का नहीं, अगर चे खुदा की राह (मार्ग) में वह भी अपनी ताक़त को लगाएगा मगर इतना काम तो नहीं कर सकेगा जितना पहला आदमी करता है। इसलिए इसे दूसरे के मुक़ाबले में इनाम ज़्यादा ही मिलना चाहिए। फिर भी क्योंकि दोनो ही खुदा के दीन को ऊँचा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं इसलिए कमज़ोर मोमिन को थोड़ा काम करने की वजह से इनाम से महरूम (वंचित) नहीं किया जाएगा।

असल में इस हदीस में यह बताया गया है कि अपनी ताक़त की क़दर करो, इसके लिए जितना आगे बढ़ सकते हो बढ़ो, कमज़ोरी आ जाने के बाद आदमी कुछ करना भी चाहे तो नहीं कर पाता और आख़िरी हिस्से का मतलब यह है कि मोमिन अपनी बुद्धि और कोशिशों पर भरोसा नहीं करता बल्कि उस पर जब मुसीबत आती है तो वह इस तरह सोचता है कि यह मुसीबत अल्लाह की तरफ़ से आई है और वह मेरे ईमान की जाँच कर रहा है। इस तरह यह मुसीबत खुदा पर भरोसा बढ़ाने वाली बन जाती हे और वह ज़्यादा हिम्मत और

साहस के साथ उस का मुक़ाबला करने के क़ाबिल हो जाता है।

✦✦✦

आख़िरत पर ईमान

13. *हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "मैं दुनिया के मजे कैसे लूटूँ जब कि हाल यह है कि इस्राफ़ील अलैहिस्सलाम सूर मुँह में लिए, कान लगाए, माथा झुकाए इनतजार कर रहे हैं कि कब हुक्म होता है सूर फूँकने का" लोगों ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! फिर आप हमें क्या हूक्म देते हैं?" आप ने कुरआन मजीद की यह आयत पढ़ी कि, "हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील" (अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है और वही सब से अच्छा काम बनाने वाला है।)*

{तिरमिज़ी-अबू सईद खुज़री}

इस हदीस में एक शब्द आया है 'सूर'। सूर बिगुल को कहते हैं जिसको बजा कर किसी फ़ौज या लोगों को इकट्ठा किया जाता है। इसी तरह का बिगुल या शंख अल्लाह के फ़रिशते हज़रत इस्राफ़ील अलैहिस्सलाम मुँह में लिए खड़े हैं। अल्लाह जब उन्हें हुक्म देगा तो वह उस में फूँक मार देंगे। उन के फूँक मारने से सूर से ऐसी भयानक और कड़कदार आवाज़ निकलेगी जिसे सुन कर सभी जानदार (जीव) मर

जाऐंगे।

इस हदीस से मालूम होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस वक़्त से डरते थे कि जब हज़रत इस्राफ़ील सूर में फूँक मारेंगे। आप की इस बेचैनी और परेशानी को देख कर सहाबा (हुज़ूर सल्ल० के प्यारे साथियों) ने यह सोचा कि जब हुज़ूर सल्ल० अल्लाह के नबी हैं और आप से कोई गुनाह नहीं होता तब भी आप इतना डर रहे हैं और बेचैन हो रहे हैं तो फिर हम गुनाहगारों का क्या बनेगा? इस के जवाब में वह आयत पढ़ने को बताई जो हदीस में लिखी हुई है। हम को भी चाहिए कि हम भी इस आयत को समझ कर पढ़ते रहा करें।

✦✦✦

14. हुज़ुर सल्ल० ने फ़रमाया, "तुम में से हर शख़्स से अल्लाह तआला ख़ुद बातें करेगा और ना तो उस का कोई सिफ़ारिश करने वाला होगा और न कोई आड़ होगी जो उसे छुपाले। यह शख़्स अपने दाऐं तरफ़ देखेगा (कि कोई सिफ़ारिश करने वाला मददगार है?)तो अपने किए हुए कर्मों के सिवाए वह कुछ नहीं देखेगा, फिर बाईं ओर देखेगा तो उधर भी उसे अपने कर्म दिखाई देंगे। फिर सामने देखेगा तो उधर जहन्नुम (नर्क) अपने पूरे भयानक रूप में होगी। तो ऐ लोगों ! आग से बचने की कोशिश करो,

चाहे एक खजूर का आधा हिस्सा दे कर बचा जाए।"

{मुत्तफ़क़ अलैह आदि}

इस हदीस में नबी सल्ल0 ने ख़ैरात और पुण्य करने की अहमियत (महत्व) के बारे में बताया है। आप के कहने का मतलब यह है कि क़यामत के दिन जब एक बन्दा अपने कर्मों को देखेगा और सामने जहन्नुम को देखेगा तो घबराएगा कि इस से कैसे बचे।

नबी सल्ल0 ने जहन्नुम से बचने की एक तरकीब यह भी बताई है कि अल्लाह की राह में कुछ न कुछ दान पुण्य किया करो और उस में यह न देखो कि कम ख़ैरात कर रहे हो। अल्लाह तआला माल की ज़्यादती और कमी को नहीं देखता है बल्कि आदमी की उस नीयत को देखता है जिस को सामने रख कर इन्सान पैसा ख़र्च करता है।

15. हज़रत आयशा (रज़ि0) कहती हैं कि मैं ने हुजूर सल्ल0 को कुछ नमाज़ों में यह दुआ करते सुना, "अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबईं यसीरा" यानि ऐ अल्लाह! मुझ से आसानी के साथ हिसाब लेना। तो मैं ने पूछा, "आसानी के साथ हिसाब" का मतलब क्या है? आप ने फ़रमाया, आसान हिसाब लेने का मतलब यह है कि अल्लाह बन्दे का कर्म-पत्र देखे और उस की बुराईयों को क्षमा कर दे। फिर

फ़रमाया ऐ आयशा (रजि0) जिस का हिसाब लेते वक़्त एक-एक बात को बार-बार खोल खोल कर पूछा गया तो उसकी खै़र नहीं।"

{मुसनद-अहमद}

इस हदीस में यह समझाया गया है कि आदमी को अपने कर्मों के बारे में सदा होशियार रहना चाहिए और अल्लाह से डरते रहना चाहिए कि उस से कोई ऐसा ग़लत काम न हो जाए जिस से अल्लाह तआला नाराज़ हो कर क़यामत के दिन उस से सवाल पर सवाल करे। इस तरह अल्लाह के दरबार में जिस शख़्स से एक-एक बात को बार-बार खोल खोल कर पूछ लिया गया तो स्पष्ट है ऐसे आदमी की खै़र नहीं। इसी लिए नबी सल्ल0 ने मुसलमानों को यह नसीहत फ़रमाई है कि वह अल्लाह तआला से दुआ करते रहें कि आख़िरत में अल्लाह हमारा हिसाब बड़ी नरमी से ले।

✦✦✦

16. रसूलुल्लाह सल्ल0 ने फ़रमाया कि "जहन्नुम को मनचाही मजेदारियों से घेर दिया गया है और जन्नत को ना पसन्द बातो से घेर दिया गया है।"

{बूख़ारी-मुस्लिम}

मतलब यह है कि जो शख़्स हर उस चीज़ के पीछे पड़ गया जो उस को लुभाए और उस को हासिल करने में हराम

हलाल का ख़्याल न करे तो समझ लेना चाहिए कि वह जहन्नुम के क़रीब पहुँच गया, और जो शख़्स बुरी बातों से बचता रहे, उन को हटाता रहे तो वह जन्नत के पास पहुँच गया। इस हदीस में नसीहत से भरी यह बात भी छुपी हुई है कि जहन्नम तक पहुँचने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। जिधर मन चाहे इन्सान चला जाए इन्सान जहन्नम के किनारे पहुँच जाएगा लेकिन जन्नत तक पहुँचने में बड़ी मेहनत और कोशिश की ज़रूरत है। तरह तरह की बुराईयों से बचना पड़ता है, इन बुराईयों से बचने में दुख झेलने पड़ते हैं। यह सब झेल कर जो बुराईयों से साफ़ निकल जाता है वही जन्नत के क़रीब पहुँच जाता है।

✦✦✦

17. *रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "मैं ने जहन्नम की आग से ज़्यादा भयानक कोई चीज़ नहीं देखी। फिर भी उस से दूर भागने वाला सो रहा है और जन्नत से ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं देखी और उस का चाहने वाला भी सो रहा है।"*

{तिरमिज़ी}

इस हदीस का मतलब यह है कि जो जहन्नम पर यक़ीन रखता है वह उस से बचने की कोशिश क्यों नहीं

करता, बुराईयों में क्यों फंसा हुआ है वह उन्हें क्यों नहीं छोड़ देता? इसी तरह जिस आदमी को जन्नत पर पूरा विशवास है और यक़ीन है वह उस को हासिल करने की कोशिश क्यों नहीं करता और उन कामों को क्यों नहीं करता जिन को करने से जन्नत हासिल होती है।

✦✦✦

18. अबू हुरैरा रज़ि0 कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत (सिफ़ारिश) वह हासिल कर सकेगा जिस ने दिल से कलमा, "लाइलाहा इल्लल्लाह" कहा होगा।

{बुख़ारी}

इस हदीस में तोहीद (एकेशवरवाद) के बारे में समझाया गया है। तौहीद का मतलब है कि केवल अल्लाह को ही अपना रब समझना, उसी को पालनहार मानना। वही दाता है, वही ज़रूरतों को पूरा करने वाला है, कोई उस का साझी और शरीक नहीं है। जिस ने पूरे विश्वास के साथ इस बात को माना तो ऐसे शख़्स के लिए ही हुजूर सल्ल0 ने क़यामत के दिन सिफ़ारिश करने का वचन (वायदा) लिया है।

नमाज़

19. *नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अगर तुम में से किसी के दरवाज़े पर एक नहर हो जिस में वह हर दिन पाँच बार नहाता हो तो बताओ उस के बदन पर कुछ भी मैल बाक़ी रह सकता है? सहाबा इकराम रजि0 ने कहा कि नही उस के बदन पर ज़रा भी मैल नही रहेगा। आप ने फ़रमाया कि यही हाल पाँच वक़्त की नमाज़ों का है। अल्लाह इन नमाज़ों के ज़रिए गुनाहों को मिटाता है।"*

{बुख़ारी, मुस्लिम, अबु हुरैरा}

इस हदीस का तर्जुमा (अनुवाद) साफ़ बता रहा है कि जो शख़्स दिन में पाँच बार नहाता है उस के शरीर पर ज़रा भी मेल बाक़ी नहीं रह सकता। यही हालत पाँचों नमाज़ों की है कि जो आदमी पूरी पाबन्दी से (नियम से) नमाज़ें पढ़ता है उस के दिल से सारी बुराईयाँ दूर हो जाती हैं। कुरआन मजीद में भी अल्लाह तआला ने इस बारे में फ़रमाया है कि बिला शुबा (निःसन्देह) नमाज़ आदमी को निर्लज्जता (बेशर्मी) और बुरे

कामों से रोकती है। असल मे यह हदीस अल्लाह तआला के इसी हुक्म की ओर इशारा कर रही है। इसलिए अल्लाह तआला के इस हुक्म और रसूलुल्लाह की इस हदीस की रोशनी में हमें देखना चाहिए कि जिस तरह दिन में पाँच बार नहाने से हमारा बदन पाक साफ़ हो जाता है उसी तरह हमारी नमाज़ों से हमारे दिलों की बुराइयाँ दूर हो रही हैं कि नहीं और अगर नहीं हो रहीं हैं तो हमे इन को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए।

✦✦✦

20. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि यह मुनाफ़िक़ की नमाज़ है कि वह बैठा सूरज का इन्तज़ार करता रहता है, यहाँ तक कि जब उस में पीला पन आ जाता है और मुशरिकों की सूरज पूजा का वक़्त आ जाता है तब वह उठता है और जल्दी जल्दी चार रकअतें मार लेता है। (इस तरह जैसे कि मुर्गी ज़मीन पर चोंच मारती है और फिर उठा लेती है) यह शख़्स अल्लाह को अपनी नमाज़ में ज़रा भी याद नहीं करता।"

{मुस्लिम-अनस रज़ि0}

इस हदीस में मुनाफ़िक़ और मुशरिक की नमाज़ों के बारे में बताया गया है। मुनाफ़िक़ उसे कहते हैं कि जो दिल से तो काफ़िर हो और ज़बान से अपने आप को मुसलमान कहता हो

और दिखावे के लिए इस्लाम के गुण गाता हो, दिल में वह इस्लाम का दुश्मन हो और मौक़ा पड़ने पर छुप कर इस्लाम के ख़िलाफ़ कार्यवाही करता हो। और मुशरिक वह लोग होते हैं जो देवी देवताओं को अल्लाह का साझी समझ कर उन की पूजा करते हैं। इन लोगों की पूजा–पाठ का समय आम तौर पर सूरज निकलते और सूरज डूबते समय होता है। वास्तव में इस हदीस के ज़रिए एक सच्चे मुसलमान और मुनाफ़िक़ की इबादत का भेद बताया गया है। मोमिन अपनी नमाज़ समय पर पढ़ता है रूकू और सजदा ठीक से करता है, उस का दिल खुदा की याद में लगा होता है और मुनाफ़िक़ नमाज़ ठीक समय पर नहीं पढ़ता रूकू और सजदा ठीक से नहीं करता और उस का दिल खुदा की ओर नहीं होता।

✦✦✦

21. शद्दाद इब्ने औस कहते हैं, "मैं ने हुज़ूर सल्ल0 को यह फ़रमाते सुना है कि जिस ने दिखावे की नमाज़ पढ़ी उस ने शिर्क किया और जिस ने दिखावे का रोज़ा रखा उस ने शिर्क किया और जिस ने दिखावे का सदक़ा किया तो उस ने भी शिर्क किया।"

{मुसनद अहमद}

मतलब यह है कि जो भी नेकी का काम किया जाए

नियत यह हो कि यह मेरे मालिक का आदेश है और मुझे यह लगन है कि किसी तरह मेरा अल्लाह मुझ से खुश रहे। यह सोच कर नमाज़, रोज़ा या सदक़ा करना कि ऐसा करने से मेरा नाम होगा और लोग मुझे नेक और पारसा कहेंगे, यह शिर्क की बात है। अल्लाह तआला की दृष्टि में ऐसे दान पुण्य, पूजा पाठ या नमाज़ आदि की कोई क़ीमत नहीं।

✦✦✦

22. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "जमाअत की नमाज़ अकेले नमाज़ पढ़ने वाले की नमाज़ के मुक़ाबले में सत्ताईस गुना ज़्यादा महत्व रखती है।"
{बुख़ारी मुस्लिम अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि0}

सत्ताइस गुना ज़्यादा महत्व का मतलब यह है कि जमाअत से नमाज़ पढ़ने वाले को अकेले नमाज़ पढ़ने वाले से 27 गुना ज़्यादा सवाब मिलता है।

✦✦✦

23. हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, "कोई आदमी नमाज़ जो किसी दूसरे आदमी के साथ पढ़ता है, उस नमाज़ के मुक़ाबले में जो वह अकेले पढ़ता है ईमान बढ़ाने का कारण बनती है और जो नमाज़ उस ने दो आदमियों के साथ

पढ़ी वह एक आदमी के साथ पढ़ी गई नमाज़ के मुक़ाबले में ईमान के बढ़ने का कारण बनती है और फिर जितनी ज़्यादा संख्या में लोग मिल कर नमाज़ पढ़ें तो वह अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है।"

{अबु दाऊद-अबी बिन काब रज़ि०}

इस हदीस में जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ने की अहमियत बताई गई है। यानी जो आदमी अकेले नमाज़ पढ़ता है उस को केवल एक नमाज़ का सवाब मिलता है लेकिन उसी नमाज़ को जमाअत के साथ पढ़ने में सत्ताईस नमाज़ों का सवाब हासिल होता है। इसी तरह जमाअत में जितने ज़्यादा नमाज़ी होंगे वैसे ही सवाब भी बढ़ता चला जाएगा और उस के ईमान में भी तरक़्क़ी होती रहेगी यही इस हदीस का मतलब है।

✦✦✦

24. "जब किसी बस्ती या देहात में तीन मुसलमान हों और वहाँ जमाअत के साथ नमाज़ न पढ़ी जाती हो तो उन पर शैतान छा जाता है, उन को चाहिए कि जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ना अपने उपर वाजिब कर लें क्योंकि भेड़िया केवल उस बकरी को खाता है जो अपने चरवाहे से दूर और अपने रैवड़ से अलग हो जाती है।"

{अबु दाऊद-अबुदरदा रज़ि०}

यह हदीस भी जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ने की अहमियत (महत्व) के बारे में है। सब से पहली बात यह है कि जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ने वालों पर खुदा की ख़ास महरबानी होती है और वह उन का विशेष ध्यान रखता है लेकिन यदि कहीं जमाअत क़ायम नहीं की जाए तो अल्लाह उन की परवाह नहीं करता। इस के साथ ही साथ जमाअत की नमाज़ एक और कारण से भी ज़रूरी है। इस बात को एक मिसाल से समझाया गया है कि जिस तरह बकरियों का रेवड़ जो अपने चरवाहे के क़रीब रहता है तो वह दोहरी निगरानी में रहता है। एक तो मालिक की निगरानी उस पर रहती है और दूसरे आपस का मेल क़ायम रहता है। इन दोनों बातों की वजह से भेड़िया शिकार नहीं कर पाता लेकिन यदि कोई मुर्ख बकरी अपने रेवड़ से बाहर निकल जाती है तो भेड़िया आसानी से उस का शिकार कर लेता है। यही हाल उस नमाज़ी का है जो जमाअत के साथ नमाज़ नहीं पढ़ता है। शैतान ऐसे शख़्स की घात में रहता है और जिस तरह चाहता है शिकार करता है और जिस रास्ते पर चाहता है चलाता है। इसी वजह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमाअत की नमाज़ को अपने ऊपर लाज़िम (ज़रूरी) कर लेने की नसीहत फ़रमाई है।

✦✦✦

25. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि "जिस शख़्स ने बुलाने वाले

(मुअज़्ज़न) की आवाज़ सुनी और उसे ऐसी कोई मजबूरी भी नहीं है जो उस की पुकार (आज़ान) पर दौड़ने से रोक सकती है तो उस की यह नमाज़ जो उस ने अकेले पढ़ी है (क़यामत के दिन) क़बूल नहीं की जाएगी।" लोगों ने इस पर हुज़ूर सल्ल० से पूछा कि 'मजबूरी से क्या मुराद है और कौन-कौन सी चीजें मजबूरी बनती हैं?' आपने फ़रमाया डर और बीमारी!"

{अबु दाऊद-इब्ने अब्बास रज़ि०}

यहाँ 'डर' से मतलब जान के चले जाने का डर है। यानि यह डर हो कि कोई दुशमन घात में बेठा है या किसी जानवर के फाड़ देने या साँप आदि के ज़रिए काटे जाने का डर हो तो इसे ही मजबूरी कहेंगे। और बीमारी से मुराद वह हालत है जिस की वजह से आदमी मस्जिद तक नहीं जा सकता। इस के अतिरिक्त अगर सख़्त हवाओं के झक्कड़ या आन्धी चल रही हो, मुसलाधार बारिश पड़ रही हो या बहुत ही ज़्यादा सख़्त सर्दी हो रही हो तो यह बात भी मजबूरी का कारण हो सकती है। वरना इन मजबूरियों के अलावा कभी भी और किसी हालत में भी जमाअत की नमाज़ को नहीं छोड़ना चाहिए। बिना किसी मजबूरी के जमाअत की नमाज़ के बजाए अकेले नमाज़ पढ़ने को अल्लाह तआला बिल्कुल पसन्द नहीं करता। यही बात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस

हदीस में समझाई है।

ज़कात, सदक़ा और फ़ित्र

26. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "बेशक अल्लाह तआला ने मुसलमानों पर सदक़ा फ़र्ज़ किया है जो उन के मालदार लोगों से लिया जाएगा और उन ग़रीब लोगो को लौटाया जाएगा जो जरूरतमन्द हैं।"

{बुख़ारी व मुस्लिम}

यहाँ पर सदके का शब्द ज़कात के अर्थ में आया है जो फ़र्ज़ है। ज़कात मालदार मुसलमानों से वसूल की जाती है और उन ग़रीब मुसलमानों को दी जाती है जो इस के हक़दार होते हैं। वैसे सदक़ा उस ख़ैरात को भी कहते हैं जो आदमी अपनी खुशी से खुदा के रास्ते में ख़र्च करता है। लेकिन वह सदक़ा जो फ़र्ज़ है ज़कात ही है।

✦✦✦

27. हजरत आयशा रजि0 कहती हैं कि मैं ने रसूलुल्लाह सल्ल0 को यह फ़रमाते सुना है कि "जिस माल में से जकात न निकाली जाए और वह उसी में मिली जुली रहे तो वह माल को बर्बाद कर

के छोड़ती है।"

{मिश्कात}

'बर्बाद करने' का यह मतलब नहीं है कि कोई व्यक्ति ज़कात न दे और खुद ही खाए तो हर हालत में उस की पूंजी बर्बाद हो जाएगी बल्कि बर्बादी से मतलब यह है कि वह माल जिस से लाभ उठाने का उस को हक़ न था और जो ग़रीब का ही हिस्सा था उस ने उसे खाकर अपने दीन और ईमान को बर्बाद कर लिया और इस तरह वह जहन्नम (नर्क) के क़रीब पहुँच गया। इस के अलावा ऐसा भी देखने में आया है ज़कात खाने वाले का पूरा सरमाया आन की आन में बर्बाद हो गया है।

✦✦✦

28. "नबी सल्ल0 ने फ़ितरे की ज़कात को उम्मत पर फ़र्ज़ (वाजिब)किया ताकि वह उन बेकार और बेशर्मी की बातों से जो रोज़े की हालत में रोज़ेदार से हो जाती हैं, कफ़्फ़ारा बने और ग़रीबों के खाने का इन्तज़ाम हो जाए।"

{अबु दाऊद}

मतलब यह है कि सदक़ा फ़ित्र जो शरीअत में वाजिब किया गया है। इसके अन्दर दो बातें काम कर रही हैं। एक यह कि रोज़ेदार से रोज़े की हालत में कोशिश के बावजूद जो कमी

और कमज़ोरी रह जाती है उस के माल के ज़रिए उस को पूरा कर लिया जाता है और दूसरा मक़सद यह है कि जिस दिन सारे मुसलमान ईद की खुशी मना रहे होते हैं उस दिन समाज के ग़रीब लोग भुखे न रहें बल्कि उन के खाने का कुछ न कुछ इन्तज़ाम हो जाए। यही वजह है कि घर के सारे ही लोगों पर फ़ित्रः वाजिब किया गया है और ईद की नमाज़ से पहले ही सदक़ा फ़ित्र देने की ताकीद आई है।

✦✦✦

रोज़ा

29. हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ि0 ने कहा कि शाअबान की आख़िरी तारीख़ को नबी सल्ल0 ने ख़ुतबा (भाषण) दिया जिस में फ़रमाया, "ऐ लोगों एक बहुत ही बड़ाई वाला और बड़ी बरकतों वाला महीना क़रीब आ गया है, वह ऐसा महीना है कि जिस की एक रात हज़ार महीनों से अच्छी है। अल्लाह तआला ने इस महीने में रोज़े रखना फ़र्ज़ कर दिया है और इस महीने की रातों में तरावीह पढ़ना नफ़िल कर दिया है। (यानि फ़र्ज़ नहीं है बल्कि सुन्नत है जिस को अल्लाह तआला पसन्द करता है।) जो शख़्स इस महीने में कोई एक नेकी का काम अपनी ख़ुशी से ख़ुद करेगा तो वह ऐसा होगा जैसे कि रमज़ान के अतिरिक्त दूसरे महीने में फ़र्ज़ पूरा किया हो और जो इस महीने में फ़र्ज़ अदा करेगा

तो वह ऐसा होगा जैसे कि रमज़ान के सिवा दूसरे महीने में सत्तर फ़र्ज़ पूरे किए और यह सब्र करने का महीना है, और सब्र का फल जन्नत है और यह महीना समाज के ग़रीब और ज़रूरत मन्दों के साथ हमदर्दी (सहानुभूती) करने का महीना है।''

{*मिश्कात*}

इस हदीस में रमज़ान के महीने की अहमियत (महत्व) बताई गई है और इसे "सब्र का महीना" और "हमदर्दी का महीना" कहा गया ! 'सब्र का महीना' होने का मतलब यह है कि इस महीने में रोज़ों के ज़रिए मोमिन को खुदा के रास्ते में जमे रहने और इच्छाओं को वश में करने की ट्रेनिंग दी जाती है। आदमी एक नियत किए हुए समय तक अल्लाह तआला के हुक्म के मुताबिक़ न खता है और न पीता है और न बीवी के पास जाता है। इससे उस के अन्दर खुदा की फ़रमाबरदारी (आज्ञा पालन की भावना) पैदा होती है। इस से इस बात का अभ्यास होता है कि अवसर पड़ने पर अपनी इच्छाओं को दबा सक्ता है। दुनिया में मोमिन की मिसाल लड़ाई के मैदान के सिपाही जैसी है जिसे शैतान और बुराई की शक्तियो से लड़ना है। यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो हो सक्ता है कि शुरू में ही उसे हार माननी पड़ जाए।

'हमदर्दी का महीना' होने का मतलब यह है कि वह रोज़ेदार जिन को अल्लाह तआला ने खाता पीता बनाया है उन को चाहिए कि खुदा ने उन्हें जो कुछ दे रखा है उस में वह

दूसरों को भी शरीक कर लें और उन की सहरी और इफ़्तार का इन्तज़ाम करें।

✦✦✦

30. "जिस शख़्स ने पक्के ईमान के साथ और आख़िरत में बदला पाने की नियत से रमज़ान के रोज़े रखे तो अल्लाह उस के गुनाहों को क्षमा कर देगा जो पहले हो चुके हैं, जिस ने रमज़ान की रातों में पूरे ईमान और आख़िरत में ईनाम पाने के इरादे के साथ नमाज़ (तरावीह) पढ़ी तो उसके उन गुनाहों को अल्लाह क्षमा कर देगा जो पहले हो चुके हैं।"

{बुख़ारी व मुस्लिम}

✦✦✦

31. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "रोज़ा ढ़ाल है और जब तुम में से किसी के रोज़े का दिन हो तो अपनी ज़बान से गन्दी बात न निकाले और न शौर व लड़ाई दंगा करे और यदि कोई उससे गाली गलोच करे या लड़ाई झगड़ा करने लगे तो रोज़ेदार को सोचना और याद करना चाहिए कि मैं तो रोज़ेदार हूँ। (भला मैं किस तरह गाली दे सकता और लड़ सकता हूँ।)"

{बुख़ारी व मुस्लिम}

✦✦✦

32. रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया कि, "जिस शख़्स ने (रोज़ा रखने पर भी) झुठ बोलना और झुठी बातों पर अमल करना नहीं छोड़ा तो अल्लाह को उस से कोई मतलब नहीं कि वह भुखा और प्यासा रहता है।"

{बुख़ारी-अबु हुरैरा}

यानी रोज़ा रखवाने से अल्लाह तआला का मक़सद इन्सान को नेक बनाना है। यदि वह नेक न बना और सच्चाई पर नहीं चला, रमज़ान में भी झुठी बातें कहता रहा और ग़लत काम करता रहा और रमज़ान के अलावा उस के जीवन में सच्चाई नहीं दिखाई देती तो ऐसे शख़्स को सोचना चाहिए कि वह आख़िर किस लिए सुबह से शाम तक खाने पीने से रूका रहा।

इस हदीस का मतलब यह है कि रोज़ेदार को रोज़ा रखने का मक़सद और उस की हक़ीक़त को समझना चाहिए और हर समय इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि क्यों खाना पीना छोड़ रखा है।

✦✦✦

33. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "कितने ही (अभागे) रोजेदार हैं जिन को अपने रोजे से सिवाए भूख प्यास से कुछ नहीं मिलता और (कितने ही रोजे की रात में) तरावीह

पढ़ने वाले हैं जिन को अपनी तरावीह से जागने
के सिवा और कुछ हासिल नहीं होता।"

हदीस में भी पहली हदीस की तरह यह शिक्षा मिलती है कि आदमी को रोज़े की हालत में रोज़े के मक़सद को सामने रखना चाहिए।

✦✦✦

34. हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से फ़रमाया, "सहरी खा लिया करो इस लिए कि सहरी खाने में बरकत है।"

{बुख़ारी}

मतलब यह है कि सहरी खाकर रोज़ा रखोगे तो दिन आसानी से कटेगा, खुदा की बन्दगी और दूसरे कामों में कमज़ोरी और सुस्ती न आएगी। सहरी न खाओगे तो भूख की वजह से सुस्ती और कमज़ोरी आएगी, इबादत में मन न लगेगा और यह बड़ी बे बरकती की बात होगी।

✦✦✦

हज

35. अबु हुरैरा रजि0 कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाषण दिया, कहा

"ऐ लोगों! अल्लाह ने तुम पर हज फ़र्ज किया है तो हज करो।"

(मुन्तक़ा)

✦ ✦ ✦

36. रसूलुल्लाह सल्ल0 ने फ़रमाया कि, "जो शख़्स इस घर (काबा) की जियारत (दर्शन) को आया और उस ने न तो शहवत (भोग) की कोई बात की और न खुदा की नाफ़रमानी का कोई काम किया तो वह अपने घर को इस हालत में लौटेगा जिस हालत में उस की माँ ने उसे जन्मा था (यानी पाक व साफ़ हो कर लौटेगा) अल्लाह तआला उस के गुनाहों को माफ़ कर देगा।"

✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦

आर्थिक व्यवहार

हलाल कमाई

37. नबी सल्ल0 ने फ़रमाया कि, "अपने हाथ की कमाई से अच्छा खाना किसी शख़्स ने कभी नहीं खाया और अल्लाह तआला के नबी दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हाथों की कमाई खाते थे।"

{*बुख़ारी*}

इस हदीस का मक़सद मोमिनों को भीख माँगने और दूसरों के सामने हाथ फैलाने से रोकना है और इस बात की शिक्षा देनी है कि आदमी को अपनी रोज़ी खुद पैदा करनी चाहिए। किसी शख़्स पर बोझ बन कर जीवन नहीं गुज़ारना चाहिए।

✦✦✦

38. रसूलुल्लाह सल्ल0 ने फ़रमाया कि, "अल्लाह तआला पाक है और वह केवल पाकीज़ा (पवित्र) माल को ही क़ुबूल (स्वीकार) करता है और अल्लाह तआला ने मोमिनों को इसी बात का हुक्म दिया है जिस का उस ने रसूलों को हुक्म दिया है। अतः उसने फ़रमाया ऐ पैग़म्बरों ! पाक रोज़ी खाओ

और नेक अमल करो और मोमिनो से कहा ऐ ईमान वालों जो पाक और हलाल चीजें हमने तुम को दी हैं, वह खाओ फिर हुज़ूर सल्ल० ने एक ऐसे आदमी के बारे में बताया जो एक लम्बा सफ़र (यात्रा) करके पाक स्थान (तीर्थस्थान) पर आता है, धूल से अटा हुआ है और अपने दोनो हाथ आसमान की ओर फैला कर कहता है, ऐ मेरे रब! (और दुआऐं माँगता है) हालांकि उस का खाना हराम है, उस का पानी हराम है, उस का लिबास (वस्त्र) हराम है और हराम ही पर वह पला बढ़ा है तो ऐसे आदमी की दुआ कैसे पूरी हो सकती है।''

{मुस्लिम-अबु हुरैरा}

इस हदीस में पहली बात यह कही गई है कि खुदा केवल वहीं दान (सदक़ा) कुबूल करता है जो पाक और हलाल कमाई का हो, हराम माल यदि उसके लिए दिया जाए तो वह उसे कुबूल नहीं करता।

दूसरी बात यह फ़रमाई कि जिस आदमी की कमाई हराम हो, हराम तरीक़े से हासिल की गई हो तो उस की दुआ अल्लाह तआला कुबूल नहीं करता।

✦✦✦

39. नबी सल्ल० ने फ़रमाया, ''लोगों पर एक ऐसा समय आएगा जिस में आदमी इस बात की कोई चिन्ता

नहीं करेगा कि उसने जो माल कमाया है वह हलाल है या हराम।"

{बुख़ारी-अबु हुरैरा}

तिजारत

40. राफे. इब्ने ख़.दीज रजि० फ़.रमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया "ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल०)! सब से अच्छी कमाई कौन सी है?" आप ने फ़.रमाया, "आदमी का अपने हाथ से काम करना और वह व्यापार, जिस में व्यापारी झूठ और बेईमानी से काम नहीं लेता।"

{मिश्कात}

✦✦✦

41. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़.रमाया, "उस शख़्स पर अल्लाह रहम फ़.रमाए जो नरमी से बात करता है और लोगों के साथ अच्छी तरह पैश आता है ख़.रीदने में, बैचने में और अपने क़र्ज़ का तक़ाज़ा करने में।"

{बुख़ारी जाबिर}

✦✦✦

42. रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़.रमाया, "सच्चाई के साथ कारोबार करने वाला अमानतदार ताजिर (व्यापारी) क़यामत के दिन नबियों, सिद्दीक़ों और

शहीदों के साथ होगा।"

{तिरमिज़ी-अबु सईद ख़ुदरी}

तिजारत देखने में एक दुनियादारी का काम है लेकिन यदि उसे सच्चाई और ईमानदारी के साथ किया जाए तो वह इबादत बन जाती है और ऐसे व्यापारी को ख़ुदा के पाक बन्दों यानी नबियों और सिद्दीक़ों और ख़ुदा के रास्ते में शहीद होने वालों का साथ मिलेगा।

सिद्दीक़ से मतलब वह मोमिन है जिस की ज़िन्दगी सच्चाई में गुज़री हो, जिस ने अल्लाह तआला और रसूलुल्लाी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किए गए वचन को जीवन भर निभाया हो और जिस के कहने और करने में कोई अन्तर न हो।

✦✦✦

43. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "ताजिर लोग क़यामत के दिन बदकार (बुरे कर्म करने वाले) की हैसियत से उठाए जाऐंगे, शिवाए उन ताजिरों (व्यापारियों) के जिन्होंने अपनी तिजारत में तक़वा इख़्तियार किया (यानी ख़ुदा की नाफ़रमानी से बचे रहे) और नेकी इख़्तियार की (यानी लोगों को पूरा हक़ दिया) और सच्चाई के साथ मामला किया।"

{तिरमिज़ी}

✦✦✦

44. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने (सूचित करते हुए) फ़रमाया "अपने माल को बेचते समय क़समें न खाया करो। इससे कुछ समय के लिए तो व्यापार में लाभ हो जाता है लेकिन आख़िरी नतीजा यह निकलता है कि कारोबार में बरकत नहीं रहती ।"

{मुस्लिम-अबु क़तादा}

व्यापारी अगर ग्राहक को क़सम खाकर यह विशवास दिलाए कि इस माल का मूल्य यही है और यह माल बहुत बाढ़िया है, ऐसा है, वैसा है तो हो सकता है कि कुछ ग्राहक धोखे में आ जाऐं और माल ख़रीद लें परन्तु बाद में जब उन्हें मालूम होगा कि माल वास्तव में कैसा था तो वह कभी उसकी दुकान पर नहीं आऐंगे और उसका कारोबार ठप हो कर रह जाऐगा।

✦✦✦

45. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जिस शख़्स ने एहेत्कार किया तो वह गुनाहगार है।"

एहेत्कार का अर्थ है ज़रूरत की चीज़ों को रोक लेना और बाज़ार में नहीं लाना और क़ीमतों के खुब चढ़ने का इन्तज़ार करना और जब क़ीमतें चढ़ जाऐं तो माल को बाहर

निकालना और खूब पैसा वसूल करना। यह बात ताजिर लोगों में होती है इसलिए नबी सल्ल0 ने इस बात से रोका क्योंकि यह बात आदमी को कठोर और ज़ालिम बना देती है और इस्लाम मानव जाति के साथ रहमत और हमदर्दी का मामला करने की शिक्षा देता है।

✦✦✦

46. हुज़ूर सल्ल0 ने फ़रमाया कि, "वह शख़्स जो जरूरत की चीज़ों को नहीं रोकता बल्कि समय पर बाजार में लाता है तो वह अल्लाह की रहमत का हक़दार है और उसे अल्लाह रोजी देगा और वह शख़्स जो माल रोक रोक कर रखता है वह फटकारा जाऐगा।"

{सुनन इब्नेमाजा-हज़रत उमर}

✦✦✦

47. हजरत मआज रजि0 कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फ़रमाते सुना हुए है कि, "कितना बुरा है जरूरत की चीजों को रोक लेने वाला आदमी, अगर अल्लाह चीज़ों के भाव को सस्ता करता है तो उसे दुख होता है और जब क़ीमतें चढ़ जाती हैं तो खुश होता है।"

{मिश्क़ात}

✦✦✦

48. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि, "किसी शख़्स के लिए जाइज़ नहीं कि जब कोई चीज़ बेचे तो वह ग्राहक को वह बुराई न बताए जो उस माल में है। इसी प्रकार किसी के लिए यह बात भी जाइज़ नहीं है कि वह किसी माल की बुराई को जानता है और वह उसे खोल कर न बता दे"

{*मन्तक़ा वासला*}

इस हदीस में व्यापारी को नसीहत की गई है कि वह बेचते समय अपनी चीज़ के ऐब (बुराईयाँ) ग्राहक के सामने रख दे। इसी तरह दुकान पर कोई ऐसा आदमी खड़ा है जो उस चीज़ के ऐब को जानता है तो उस को चाहिए कि ख़रिदार को साफ़ साफ़ बता दे।"

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक व्यापारी के पास से गुज़रे वह अनाज बेच रहा था। आप ने अपना हाथ ढेर के अन्दर डाला, अन्दर का हिस्सा पानी में भीगा हुआ था। आप ने पूछा यह क्या? उसने कहा हुज़ूर बारिश में भीग गया है। आप ने कहा फिर इसे ऊपर क्यों न रखा? फिर आप ने फ़रमाया जो लोग हम से धोखा करें वह हम में से नहीं हैं।

✦✦✦

उधार चुकाना और टाल मटौल करना

49. हज़रत अबु राफ़े रज़ि० फ़रमाते हैं कि,

"नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छोटी उम्र का ऊँट किसी से क़र्ज़ लिया फिर आप के पास ज़कात के कुछ ऊँट आए तो आप ने मुझे हुक्म दिया कि उस आदमी का कम आयु वाला ऊँट दे दूँ, तो मैं ने कहा इन ऊँटों में केवल एक ऊँट है जो बहुत उम्दा (उत्तम) है और सात साल का है तो आप ने फ़रमाया कि वही उसे दे दो। इसलिए कि सब से अच्छा आदमी वही है जो सब से अच्छे तरीके पर क़र्ज़ चुकाता है।"

{मुस्लिम}

✦✦✦

50. रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया कि, "मालदार क़र्ज़दार का क़र्ज़ा अदा करने में टाल मटोल करना ज़ुल्म है। और अगर क़र्ज़दार कहे कि तुम अपना क़र्ज़ा फ़लाँ ख़ुशहाल आदमी से ले लो तो ख़्वाहमख़्वाह क़र्ज़दार के सिर पर सवार न रहना चाहिए। उस की यह बात मान ले और जिस का उस ने हवाला दिया उससे जाकर ले ले।"

{बुख़ारी व मुस्लिम}

मतलब यह है कि आदमी के पास क़र्ज अदा करने के लिए कुछ नहीं है और वह कहता है कि जाओ फ़लाँ शख़्स से लेलो, हमारे उसके बीच बात चीत हो चुकी है, वह अदा करने पर राज़ी है तो क़र्ज़ लेने वाले को चाहिए कि वह ऐसा न कहे

मैं तो तुझी से लूँगा, मैं किसी और को क्या जानूँ बल्कि उस के साथ नरमी का बर्ताव करे और जिस का वह हवाला दे रहा है उससे क़र्ज़ वसूल करे।

51. नबी सल्ल0 ने फ़रमाया, "क़र्ज़ अदा कर सकने वाले का टाल मटोल करना हलाल कर देता है उस की आबरू और उस की सजा को।"

{अबु दाऊद}

"आबरू" के हलाल कर देने का मतलब यह है कि जो शख़्स क़र्ज़ ले और वह शख़्स इस योग्य हो कि लिया हुआ क़र्ज़ वापिस करदे लेकिन फिर भी टाल मटोल करे तो उस का यह जुर्म ऐसा है कि समाज की नज़र में उस को गिराया जा सकता है और उस को सज़ा दी जा सकती है। यदि इस्लामी हुकूमत किसी देश में क़ायम है और वहाँ कोई ऐसा शख़्स पाया जाए तो इस्लामी हुकूमत के कारिन्दे (कर्मचारी) उसको सज़ा भी दे सकते हैं और उस को बदनाम करने के दूसरे तरीक़े अपना सकते हैं।

✦✦✦

किसी का माल मार खाना

52. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, "सुनो ! जुल्म (अत्याचार) न करो, किसी आदमी का माल जाइज़ नहीं है। लेकिन केवल उस समय जबकि माल देने वाला अपनी ख़ुशी से दे।"

{बेहक़ी}

53. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, "जिस शख़्स ने तुम्हें भरोसे के क़ाबिल समझ कर अपनी अमानत तुम्हारे पास रखी है उसकी अमानत वापिस कर दो और जो तुम से ख़यानत करे तो तुम उसके साथ ख़यानत का मामला न करो बल्कि अपने हक़ (अधिकार) को हीसिल करने के लिए दूसरे जाइज़ तरीक़े अपनाओ।"

{तिरमिज़ी, अबु हुरैरा रज़ि०}

खैती और बाग़बानी

54. रसुलूल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि, "जो मुसलमान ज़राअत (कृषि) का काम करता है या पौधे लगाता है और उस में से चिड़ियाँ या कोई जानवर खाले तो यह उसके लिए

सदक़ा बनता है।"

{मुस्लिम}

55. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं, "तीन तरह के लोग हैं जिन से अल्लाह तआला क़यामत के दिन न तो बात करेगा और न उन की तरफ़ देखेगा। पहली क़िस्म उन लोगों की है जिन्होंने व्यापार में सामान को बेचते हुए झूठी क़सम खाई कि उस की जितनी क़ीमत लगाई गई उससे अधिक लग चुकी है। दूसरे वह लोग हैं जिन्होने (अस्र की) नमाज़ के बाद झूठी शपथ खाई और उसके द्वारा किसी मुसलमान आदमी का माल ले लिया। तीसरे वह लोग जो जरूरत से अधिक पानी को रोकें तो अल्लाह तआला क़यामत के दिन उन से कहेगा मैं तुझसे आज अपनी रहमत रोक लूँगा जैसे कि तूने वह अधिक पानी रोका जो तेरा अपना पैदा किया हुआ न था।"

{बुख़ारी व मुस्लिम}

मज़दूर की मज़दूरी

56. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि, "मज़दूर का पसीना सूखने से पहले

उसकी मजदूरी दे दो।''

{इब्ने माजा, इब्ने उमर}

क्योंकि मज़दूर कहते ही उस आदमी को हैं जिसको अपना और अपने बाल बच्चों का पैट भरने केलिए रोज़ाना परिश्रम करना पड़ता है। अब यदि उसकी मज़दूरी किसी दूसरे दिन पर टाल दी जाए या मार ली जाए तो वह शाम को क्या खाएगा और अपने बच्चों को क्या खिलाएगा।

✦✦✦

57. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि, ''अल्लाह तआला फ़रमाते हैं कि तीन आदमी हैं जिन से क़यामत के दिन मेरा झगड़ा होगा। एक वह शख़्स जिस ने मेरा नाम लेकर कोई मुआहिदा (सन्धि) किया फिर उस ने उस मुआहिदे को तोड़ डाला। दूसरा वह शख़्स जिस ने किसी शरीफ़ और आजाद आदमी को (छुपाकर) बेचा और उस की क़ीमत खाई तीसरा वह शख़्स जिस ने किसी मजदूर को मजदूरी पर लगाया फिर उससे पूरा काम लिया और काम लेने के बाद उसको उसकी मजदूरी नहीं दी।''

{बुख़ारी-अबु हुरैरा}

✦✦✦

सूद

58. हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ि० कहते हैं कि, "हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
लानत (फटकार) भेजी सूद खानेवाले पर, सूद खिलाने वाले पर, उस के दोनों गवाहों पर और सूद के लिखने वाले पर।"

{बुख़ारी व मुस्लिम}

✦✦✦

रिश्वत

59. हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमरू रज़ि० कहते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, "अल्लाह की फटकार पड़े रिश्वत देने वाले पर और रिश्वत लेने वाले पर।"

{बुख़ारी व मुस्लिम}

✦✦✦✦✦✦✦

सामाजिक व्यवहार

निकाह

60. अब्दुल्लाह बिन मसूद रजि० कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, "ऐ नवजवानों! तुम में से जो निकाह (शादी) की जिम्मेदारियाँ उठाने की सकत (क्षमता) रखता हो उसे निकाह कर लेना चाहिए क्योंकि यह निकाह (दृष्टी) को नीचा रखता है और शर्मगाह की हिफ़ाजत करता है (यानी) निगाह को इधर उधर आवारा फिरने और शहवानी ताक़त (काम वासना) को आजाद छोड़ देने से बचता है और जो निकाह की जिम्मेदारियों को उठाने की योग्यता नहीं रखता उसे चाहिए कि शहवत (काम वासना) का जोर तोड़ने केलिए कभी-कभी रोजे रखा करे।"

{बुख़ारी व मुस्लिम}

✦✦✦

61. रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया कि, "औरत से चार चीजों की बुनियाद पर शादी की जाती है उसके माल की बुनियाद पर, उसकी ख़ानदानी शराफ़त की बुनियाद पर, उसकी खुबसूरती की बुनियाद पर और उसके दीन की बुनियाद पर,

तो तुम दीनदार औरत को हासिल करो तुम्हारा भला हो।"

{मुत्तफ़िक़ अलै-अबु हुरैरा}

हदीस का मतलब यह है कि औरत से शादी करते समय यह चार बातें देखी जाती हैं, कोई माल देखता है, कोई ख़ानदान की बड़ाई और शराफ़त का ख़्याल रखता है और कोई उसकी खुबसूरती की वजह से शादी करता है और कोई उसके दीन को देखता हे लेकिन हुजूर सल्ल० ने मुसलमानों को नसीहत की है कि असल चीज़ जो देखने की है वह उसकी दीनदारी है केवल खुबसूरती की बुनियाद पर शादी करना मुसलमान का काम नहीं है।

✦✦✦

62. हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमरू रज़ि० कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, "औरतों से उनकी खुबसूरती की वजह से शादी न करो, हो सकता है खुबसूरती उनको बरबाद करदे और न उनके मालदार होने की वजह से शादी करो हो सकता है उनका माल बग़ावत में डाल दे, बल्कि दीन की बुनियाद पर उनसे शादी करो और स्याह रंग की बान्दी जो दीनदार हो अल्लाह की निगाह में गोरी ख़ानदानी औरत से बेहतर है।"

{मुन्तक़ा}

✦✦✦

63. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, "जब तुम्हारे पास शादी का पैग़ाम कोई ऐसा शख़्स लाए जिसके दीन व अख़लाक़ को तुम पसन्द करते हो तो उससे शादी कर दो, यदि तुम ऐसा न करोगे तो ज़मीन में फ़ितना और बड़ी ख़राबी पैदा होगी।"

{*तिरमिज़ी*}

मतलब यह है कि शादी के सम्बन्ध में देखने की बात दीन व अख़लाक़ है। अगर यह न देखा जाए बल्कि माल, जायदाद और ख़ानदानी शराफ़त ही देखी जाए तो इस्लामी समाज में इस से बहुत बड़ी ख़राबी पैदा हो जाएगी, जो लोग दुनिया के लाभ और लालच में पड़ जाएं और दीन उनकी नज़रों से गिर जाए तथा माल और जायदाद ही उनके देखने की चीज़ें बन जाएं तो ऐसे लोग दीन को कैसे फैला सकते हैं। इसी हालत को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ितना व फ़साद कहा है।

मेहर

64. उक़बा बिन आमिर रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, "बेहतरीन महर वह है जो मामूली हो।"

मेहर उस ख़ास रक़म को कहते हैं जो शोहर अपनी

बीवी को शादी होते समय देने का इक़रार करता है। इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नसीहत की है कि मेहर जहाँ तक मुमकिन हो सके वह बहुत हल्का होना चाहिए। क्योंकि भारी रक़म का मेहर ख़ानदानों में उलझन और बिगाड़ पैदा करता है। बीवी रहना नहीं चाहती और मियाँ रखना नहीं चाहते लेकिन तलाक़ नहीं देते इसलिए कि फिर मेहर की बात उठ खड़ी होगी जिस को पूरा करना उनका शक्ति से बाहर है। इसके नतीजे में घर दोनो के लिए जहन्नम बन जाता है।

✦✦✦

65. *नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि, "सबसे बुरा खाना उस वलीमे का खाना है जिस में मालदारों को बुलाया जाए और ग़रीबों को छोड़ दिया जाए और जिस शख़्स ने वलीमे की दावत क़ुबूल नही की उसने अल्लाह और रसूल की नाफ़रमानी की ।"*

{बुख़ारी व मुस्लिम, अबु हुरैरा}

इस हदीस से मालूम हुआ कि वलीमा सुन्नत है और जिस वलीमे में मालदारों को बुलाया जाए और समाज में जो ग़रीब लोग हैं उनको न बुलाया जाए तो वलीमे की दावत ठीक नहीं। इसके साथ ही वलीमे की दावत में बिना किसी मजबूरी

के न जाना भी सुन्नत के ख़िलाफ़ है।"

✦✦✦

66. इमरान बिन हुसैन कहते हैं कि, "नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ासिक़ लोगों की दावत को क़ुबूल करने से मना फ़रमाया है।"

{इमरान रज़ि० बिन हुसैन, मिश्क़ात}

'फ़ासिक़' उस शख़्स को कहते हैं जो अल्लाह व रसूल के हुक्मों को पूरी ढटाई से तोड़ता है। हलाल व हराम का ख़्याल नहीं रखता, जो आदमी दीन की बेइज़्ज़ती करता है, दीन से सम्बन्ध रखने वाले लोग उसकी इज़्ज़त बढ़ाने कैसे जा सकते हैं। ऐसे शख़्स की दावत में न जाना चाहिए। हाँ यह ठीक है कि उसकी दावत को उसकी भलाई चाहते हुए बहुत नर्मी के साथ टाल दे।

✦✦✦

माँ बाप और रिश्तेदारों का हक़

67. "एक आदमी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल०) मेरे अच्छे बर्ताव (व्यवहार) का सबसे ज़्यादा हक़दार कौन है? आपने फ़रमाया तेरी माँ। उसने कहा, फिर कौन? आपने फ़रमाया तेरी माँ। उसने

कहा फिर कौन? तो आपने फ़रमाया फिर तेरा बाप फिर इसी प्रकार जो तेरे क़रीबी लोग हों।"

{बुख़ारी, मुस्लिम-अबु हुरैरा रज़ि}

इस हदीस से मालूम हुआ कि माँ का दर्जा बाप से बढ़ा हुआ है। यही बात कुरआन मजीद से भी मालूम होती है। सूरः लुक़मान में अल्लाह तआला ने फ़रमाया कि "हमने इन्सान को वालदैन (माता–पिता) की शुक्रगुज़ारी का ताकीद करके हुकम दिया" और इसके तुरन्त बाद यह फ़रमाया कि "उसकी माँ ने उसको तकलीफ़ झेल कर नौ महीने तक अपने शिकम (पेट) में रखा फिर दो साल तक अपने खुन से उसे पाला।" इसीलिए विद्वानों ने लिखा है कि जहाँ तक अदब, इज़्ज़त और आदर व सत्कार का सवाल है बाप ज़्यादा मुस्तहक़ है और ख़िदमत करने में माँ का दर्जा बढ़ा हुआ है।

✦✦✦

68. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि, "उसकी नाक ख़ाक आलूद (धूल में अटी) हो (यानी ज़लील हो), यह बात आप ने तीन बार फ़रमाई। लोगों ने पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल! कौन ज़लील हो? (और यह बात आप किन लोगों के बारे में कह रहे हैं?) आप (सल्ल0) ने फ़रमाया कि वह शख़्स जिस ने अपने वालदैन को बुढ़ापे की हालत में पाया, उन दोनों में से एक को या दोनों

को, फिर (उनकी ख़िदमत करके) जन्नत में दाखिल न हुआ।"

{मुस्लिम, अबु हुरैरा रज़ि०}

✦✦✦

69. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि, "अल्लाह तआला ने तुम पर हराम (नाजाइज) किया है माँ बाप के साथ बुरा बर्ताव और लड़कियों को जिन्दा गाड़ना, और लालच या कंजूसी और तुम्हारे लिए उसने नापसन्द किया है बेकार किस्म की बातें करना और ज़्यादा सवाल करना और माल को नष्ट करना।"

सवाल ज़्यादा करने से मतलब व्यर्थ की कुरेद करनी है। इससे यह मक़सद नहीं है कि आदमी जो बात नहीं जानता उसके बारे में न पूछे बल्कि मतलब यह है कि इस तरह की कुरैद न करे जिस तरह की कुरैद बनी इस्राईल ने गाय काटने के विषय में की थी और आज भी इस तरह की कुरैद आम तौर पर वह लोग करते हैं जो दीन पर अमल करना नहीं चाहते।

✦✦✦

पत्नि का हक़

70. हकीम बिन मुआविया रजि0 अपने बाप मुआविया रजि0 से सुन कर कहते हैं कि उन्होंने

(मुआविया रजि0 ने) कहा, कि मैं ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि "किसी शोहर की बीवी का उस पर क्या हक़ है? आप ने फ़रमाया उसका हक़ यह है कि जब तु खाए तो उसे खिलाए और जब तू पहने तो उसे पहनाए और उसके चेहरे पर न मारे और उसको बद्दुआ के बोल न कहे और अगर उससे ताल्लुक़ छोड़े तो सिर्फ़ घर में ऐसा करे।"

{अबु दाऊद रज़ि0}

यानी जैसा तुम खाओ वैसा ही अपनी बीवी को खिलाओ और जिस क़िस्म का वस्त्र तुम पहनो उसी तरह का वस्त्र उसे पहनाओ।

आख़िरी वाक्य का मतलब यह है कि यदि बीवी की तरफ़ से नाफ़रमानी और शरारत ज़ाहिर हो तो कुरआन की हिदायत (शिक्षा) के मुताबिक़ पहले उसको नर्मी से समझाए अगर उससे भी वह ठीक न हो तो घर में अपना बिस्तर अलग करे और बात बाहर न पहुँचने दे क्योंकि यह शरीअत के ख़िलाफ़ है। इससे भी अगर ठीक न हो तो उसको मारा जा सकता है लेकिन चेहरे पर नहीं बल्कि शरीर के किसी दूसरे हिस्से पर और इसमें भी यह ताकीद है कि हड्डी को तोड़ देने वाली या ज़ख़्मी कर देने वाली मार न मारी जाए।

✦✦✦

71. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, "कोई मोमिन शौहर अपनी बीवी से नफ़रत न करे, अगर उसकी एक आदत पसन्द नहीं आती तो दूसरी और आदतें पसन्द आऐंगी।"

{मुस्लिम, अबु हुरैरा रज़ि०}

मतलब यह है कि बीवी अगर खुबसूरत नहीं है या किसी और तरह की कमी उसमें पाई जाती है तो इस वजह से उससे फ़ौरन सम्बन्ध ख़त्म कर देने का फ़ैसला न कर लो। एक औरत के अन्दर अगर कुछ बातों में कोई कमी होती है तो दूसरी और बहुत सी बातें ऐसी भी होती हैं जिन के कारण वह अपने शौहर के दिल पर क़ब्ज़ा कर लेती है लेकिन इस हालत में जबकि उसको मौक़ा दिया जाए और केवल उसकी एक कमी या बुराई की वजह से हमेशा के लिए दिल में नफ़रत (घृणा) न बिठाली जाए।

✦✦✦

72. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि, "जब आदमी अपने घर वालों पर आख़िरत में अज्र (इनाम) पाने की नियत से ख़र्च करता है तो यह उसके लिए सदक़ा बनता है।"

{बुख़ारी व मुस्लिम}

✦✦✦

पति का हक़

73. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि, "आदमी को गुनाहगार (पापी) करने के लिए यह बात काफ़ी नहीं है कि वह उन लोगों को छोड़ दे जिनको वह खिलाता है।"

{अबु दाऊद}

74. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, "औरत जबकि वह पाँचो वक़्त की नमाज़ पढ़े और रमज़ान के रोज़े रखे और अपनी शर्मगाह की हिफ़ाज़त करे और अपने शौहर की फ़रमाबरदारी (आज्ञापालन) करे तो वह जन्नत के दरवाज़ों में से जिस दरवाज़े से चाहे दाख़िल हो।"

{मिश्कात}

75. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि, "कौन सी बीवी सबसे अच्छी है? आप ने फ़रमाया कि वह बीवी जो अपने शौहर को खुश करे जब भी वह उसकी तरफ़ देखे, कहना माने जब वह उसे हुक्म दे और अपने माल के बारे में कोई ऐसा तरीक़ा न अपनाए जो शौहर को पसन्द न हो।"

{निसाई, अबु हुरैरा}

औलाद का हक़

76. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि, "बाप अपनी औलाद (सन्तान) को जो कुछ देता है उसमें से सबसे अच्छी देन उसकी उम्दा तालीम और अच्छा व्यवहार है।"

{मिश्कात}

77. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "अपनी औलाद को नमाज़ पढ़ने का हुक्म दो जबकि वह सात साल के हो जाऐं और नमाज़ केलिए उनको मारो जब वह दस साल की उम्र के हो जाऐं और इस उम्र को पहुँचने के बाद उनके बिस्तर अलग कर दो।"

इस हदीस का मतलब यह है कि बच्चे जब सात साल के हो जाऐं तो उनको नमाज़ का तरीक़ा सिखाना और नमाज़ पढ़ने की ताकीद करनी चाहिए और जब वह दस साल के हो जाऐं और नमाज़ न पढ़ें तो उन्हें मारा भी जा सकता है। उनहें साफ़ साफ़ बता देना चाहिए कि तुम्हारा नमाज़ पढ़ना ही हमारे लिए खुशी की बात होगी और नमाज़ न पढ़ना हमारी नाराज़ी की वजह होगी।

✦✦✦

78. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि, "जब इन्सान मर जाता है तो उसका अमल ख़त्म हो जाता है मगर तीन तरह के कर्म ऐसे हैं कि उनका सवाब (पुण्य) मरने के बाद भी मिलता रहता है। एक यह कि वह सदक़ा जारिया कर जाए या ऐसा इल्म छोड़ जाए जिससे लोग लाभ उठाऐं और तीसरे नेक लड़का जो उसके लिए दुआ करता रहे।"

{मुस्लिम, अबु हुरैरा}

सदक़ा जारिया से मतलब वह सदक़ा है जिसका सवाब दिनों तक बाक़ी रहे। नहर खुदवाए या कुआँ खुदवाए या मुसाफ़िरों के लिए सराय बनवादे या रास्ते पर वृक्ष लगवादे या किसी दीनी पाठशाला में किताबें वक्फ़ कर जाए तो जब तक लोग उसके काम से फ़ायदा उठाऐंगे उसे सवाब मिलता रहेगा। इसी तरह वह किसी को तालीम दे या दीनी किताबें लिख जाए तो उसका सवाब भी मिलता रहेगा।

तीसरी बात जिस का सवाब मिलता रहेगा वह उसका अपना ऐसा लड़का है जिस को उसने शुरू ही से अच्छी तरबियत दी है और उसके नतीजे में वह नेक और अच्छे चाल चलन वाला बना है तो जब तक यह लड़का दुनिया में ज़िन्दा रहेगा उसकी नेकियों का सवाब उसके माँ बाप को मिलता रहेगा। और क्योंकि वह नेक है इसलिए उनके हक़ में दुआऐं करता रहेगा।

✦✦✦

79. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि, "जिस शख़्स के यहाँ लड़की पैदा हुई और उसने जाहिलियत (अज्ञानता) के तरीक़े पर जिन्दा दफ़्न नहीं किया और न उसको हक़ीर (तुच्छ) जाना और न ही लड़कों को उसके मुक़ाबले में अच्छा जाना तो अल्लाह ऐसे लोगों को जन्नत में दाख़िल करेगा।"

{अबु दाऊद}

✦✦✦

80. हज़रत उम्मे सलमा रज़ि० कहती हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि, "क्या मुझे सवाब मिलेगा अबु सलमा रज़ि० के बेटों पर ख़र्च करने से, मैं इन्हें इस तरह बेसहारा और घर-घर मारे फिरने के लिए छोड़ नहीं सकती, वह तो मेरे ही बेटे हैं? आप ने फ़रमाया कि हाँ जो कुछ तुम इन पर ख़र्च करोगी तुम्हें इसका अज्र (फल) मिलेगा।"

{बुख़ारी, मुस्लिम}

✦✦✦

81. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि, "मैं और झुलसे हुए चेहरे वाली औरत क़यामत के दिन इन दो उँगलियों की तरह होंगे (यजीद बिन जरै रज़ि ने यह हदीस बयान करते हुए अपनी बीच की उँगली और कलमा शहादत की उँगली की ओर

इशारा किया) यानी वह औरत जिस का शौहर मर गया और वह खानदान से शरीफ़ और खुबसूरत हो लेकिन उसने अपने मरने वाले शौहर के बच्चों की खातिर अपने आप को निकाह से रोके रखा यहाँ तक कि वह जुदा हुए या मर गए।"

{अबु दाऊद}

इस हदीस का मतलब यह है कि यदि किसी औरत का शौहर मर जाए और उसके छोटे बच्चे हों और लोग उससे शादी भी करना चाहते हों लेकिन वह औरत अपने यतीम बच्चों को पालने पोसने की ख़ातिर शादी नहीं करती और इज़्ज़त तथा अच्छे आचरण के साथ ज़िन्दगी गुज़ारती है तो ऐसी औरत को क़यामत के दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़रीबी हासिल होगी।

✦✦✦

82. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि, "मैं तुम्हें बेहतरीन सदक़ा न बताऊँ ? वह तेरी बेटी है जो तेरे पास लौटा दी गई है और उसको तेरे सिवाए कोई और कमा कर खिलाने वाला नहीं है।"

{इब्ने माजा, सराक़ा बिन मालिक}

यानी ऐसी लड़की जिसकी बद[illegible]रती या जिस्मानी ख़राबी

की वजह से शादी नहीं होती या शादी के बाद तलाक़ मिल गई है और तुम्हारे सिवाए कोई इसको खिलाने पिलाने वाला नहीं है तो उस पर जो कुछ तुम ख़र्च करोगे वह अल्लाह की नज़र में बेहतरीन सदक़ा है।

✦✦✦

यतीम का हक़

83. *रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, "मैं और यतीम का निगराँ (संरक्षक) और दूसरे बेसहारा (असहाय) लोगो के निगराँ हम दोनों जन्नत में इस तरह होंगे, यह कह कर अपनी बीच की उँगली और शहादत वाली उँगली से इशारा किया और इन दोनों उँगलियों के बीच थोड़ा सा फ़ासला रखा।"*

{बुख़ारी}

अर्थात जो लोग यतीमों की देख भाल और परवरिश का ज़रिया (साधन) बनते हैं ऐसे लोग जन्नत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़रीब रहेंगे। यह खुशख़बरी केवल यतीम ही की परवरिश करने वालों के लिए नहीं है बल्कि हर उस शख़्स के लिए है जो असहाय और ज़रूरत मन्द लोगों की देख भाल करता है।

✦✦✦

84. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, "मुसलमानों के घरों में सब से अच्छा घर वह है जिस में कोई यतीम हो और उसके साथ अच्छा बर्ताव किया जाता हो, और मुसलमानों का सब से बुरा घर वह है जिस में कोई यतीम हो और उसके साथ बुरा बर्ताव किया जाता हो।"

{इब्ने माजा, अबु हुरैरा}

✦✦✦

85. ऐक आदमी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने दिल की सख़्ती के बारे में कहा तो आप ने फ़रमाया कि, "यतीम के सर पर मुहब्बत का हाथ फेर और मासूमों को खाना खिला।"

{मिश्कात}

इस हदीस से मालूम हुआ कि यदि कोई आदमी अपनी संगदिली (ह्रदय की कठोरता) का इलाज करना चाहे तो अपने अमल से प्यार मुहब्बत, हमदर्दी भाईचारे के काम करना शुरू कर दे। जो लोग ज़रूरत मन्द और बेसहारा हैं उनकी ज़रूरत पूरी करे और उनके कामों में उन की मदद करे तो उसकी यह संगदिली ख़त्म हो जाएगी और वह दूसरों पर दया और रहम करने वाला बन जाएगा।

✦✦✦

86. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, "ऐ मेरे अल्लाह ! मैं दो कमजोर क़िस्म के लोगों के हक़ को अदा न करना हराम ठहराता हूँ यानी यतीम और बीवी के हक़ को।"

{*निसाई*}

इस हदीस के ज़रिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को यह समझाया है कि यतीमों और बीवीयों के हुक़ूक़ (अधिकार) की इज़्ज़त करो और वह इज़्ज़त उन के हुक़ूक़ को पूरी तरह निभाने और पालन करने से ही हो सकती है। इस्लाम से पहले की अरब दुनिया में यह दोनों सब से ज़्यादा दुखी और जुल्म के शिकार थे। यतीमों के साथ आमतौर पर बुरा बर्ताव किया जाता और उन के हक़ को मारा जाता था। इसी तरह औरत का भी कोई स्थान न था।

✦✦✦

मेहमान का हक़

87. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि, "जो लोग अल्लाह और आख़िरत के दिन पर ईमान रखते हैं तो उनहें चाहिए कि अपने मेहमानों की ख़ातिरदारी और आवभगत करें।"

{*बुख़ारी, मुस्लिम, अबु हुरैरा*}

✦✦✦

88. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि, "जो लोग अल्लाह पर और आख़िरत पर ईमान रखते हैं तो उनहें चाहिए कि अपने मेहमान की ख़ातिर करें। पहला दिन नेअमत और बख़्शिश का दिन है जिस में मेहमान को अच्छे से अच्छा खाना खिलाना चाहिए। और मेहमानी तीन दिन तक है (यानी दूसरे और तीसरे दिन उसकी मेहमानी में तकल्लुफ़ करना अख़लाक़ी तौर पर जरूरी नहीं) इसके बाद जो कुछ वह करेगा वह उसके लिए सदक़ा होगा और मेहमान के लिए जाइज़ (उचित) नहीं है कि अपने मेज़बान के पास ठहरा रहे यहाँ तक कि वह परेशानी में पड़ जाए।"

{बुख़ारी-मुस्लिम}

इस हदीस में मंज़बान और मेहमान दोनों को समझाया गया है। मेज़बान को यह हिदायत दी गई है कि वह अपने मेहमान की ख़ातिर करे। ख़ातिर करने का मतलब सिर्फ़ खिला पिला देना नहीं है बल्कि हंस कर बोलना और अख़्लाक़ से पेश आना सभी कुछ समझना चाहिए। और मेहमान को यह समझाया गया है कि जब किसी के यहाँ मेहमान बनकर जाए तो वहीं धरना मार कर बैठ न जाए कि इससे मेज़बान परेशनी में पड़ जाए। "मुस्लिम" की एक रिवायत इस हदीस को अच्छी तरह स्पष्ट करती है जिस में आप ने फ़रमाया कि किसी मुसलमान के लिए जाइज़ नहीं कि वह अपने भाई के पास

ठहरे, यहाँ तक कि उसको परेशानी में डाल दे। लोगों ने पूछा ऐ अल्लाह के रसूल ! वह किस तरह उसको परेशानी में डाल देगा? तो आप ने फ़रमाया इस तरह कि यह वहीं उसके पास ठहरा रहे और उसके पास मेज़बानी के लिए कुछ न हो ।

✦✦✦

पड़ोसी का हक़

89. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने (तीन बार) फ़रमाया, "ख़ुदा की क़सम उसका ईमान सच्चा नहीं है। पूछा गया ऐ अल्लाह के रसूल! किसका ईमान सच्चा नहीं? फ़रमाया कि उस शख़्स का जिस का पड़ोसी उसकी तकलीफ़ों से महफ़ूज़ न रहे।"

{बुख़ारी-मुस्लिम}

✦✦✦

90. इब्ने अब्बास रजि० कहते हैं कि मैं ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना कि, "मोमिन ऐसा नहीं होता है कि ख़ुद तो पेट भर कर खाए और उसका पड़ोसी जो उसके पहलू में रहता हो भूखा रहे।"

{मिश्कात}

✦✦✦

91. हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने

फ़रमाया कि, "जिबराईल अलैहिस्सलाम मुझ को पड़ोसी के साथ अच्छा बर्ताव करने की बराबर ताकीद करते रहे। यहाँ तक कि मैं ने सोचा पड़ोसी को पड़ोसी का वारिस बना देंगे।"

{मुत्तफ़क़ अलैह-आयेशा रज़ि०}

✦✦✦

92. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबु ज़र रज़ि० से फ़रमाया, "ऐ अबु ज़र (रज़ि०) जब तू शोरबा पकाए तो कुछ पानी ज़्यादा कर दे और अपने पड़ोसी की ख़बरगीरी कर।"

{मुस्लिम}

✦✦✦

93. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, "ऐ मुसलमान औरतों ! कोई पड़ोसन अपनी पड़ोसन को तोहफ़ा (भेंट) देने को बुरा न समझे चाहे वह एक बकरी का खुर ही क्यों न हो।"

{बुख़ारी-मुस्लिम-अबु हुरैरा रज़ि०}

अकसर (बहुधा) यह देखा जाता है औरतें कोई मामूली चीज़ अपनी पड़ोसन के घर भेजना पसन्द नहीं करतीं उनकी इच्छा यह होती है कि उनके यहाँ कोई अच्छी चीज़ भेजें। इसी लिए आप ने औरतों को नसीहत फ़रमाई कि मामूली से मामूली हदिया (भेंट) भी अपने पड़ोसियों के यहाँ भेजो और जिन

औरतों के पास पड़ोस से तोहफ़ा आए और वह मामूली (साधारण) हो तो भी उसे मुहब्बत के साथ ले लेना चाहिए। असको न तो कम दर्जे का समझें और न उस में बूराईयाँ निकालें।

✦✦✦

94. एक आदमी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि एक औरत बहुत ज़्यादा नफ़िल नमाज़ें पढ़ती, नफ़िल रोज़े रखती और सदक़ा करती है और इसकी वजह से वह मशहूर है लेकिन अपने पड़ोसियों को अपनी ज़बान से तकलीफ़ पहुँचाती है। "आप ने फ़रमाया कि वह जहन्नम में जाएगी।" उस आदमी ने फिर कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल! एक और औरत के बारे में कहा जाता है कि वह कम नफ़िल रोज़े रखती है और बहुत कम नफ़िल नमाज़ पढ़ती है और केवल पनीर के कुछ टुकड़े सदक़ा करती है लेकिन ज़बान से पड़ोसियों को तकलीफ़ नहीं पहुँचाती। "आप ने फ़रमाया कि वह जन्नत मे जाएगी।"

{मिश्कात-अबु हुरैरा}

95. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, "जिन दो आदमियों का मुक़दमा सबसे पहले क़यामत के दिन रखा जाएगा वह दो पड़ोसी

होंगे।"

{मिश्कात}

यानी क़यामत में बन्दों के हुकूक़ (अधिकारों) के सिलसिले में सबसे पहले खुदा के सामने दो शख़्स हाज़िर होंगे जो दुनिया में एक दूसरे के पड़ोसी रहे और एक ने दूसरे को सताया और ज़ुल्म किया; इन दोनो का मुक़दमा सबसे पहले पेश होगा।

नौकरों का हक़

96. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, "गुलाम का हक़ यह है कि उसे खाना और कपड़ा दिया जाए और उस पर काम का इतना ही बोझ डाला जाए जिसको वह सहन कर सकता हो।"

{मुस्लिम, अबु हुरैरा}

इस हदीस में "ममलूक" का शब्द आया है जिस का मतलब गुलाम और बान्दी हैं जो इस्लाम से पहले की अरब सोसायटी में पाए जाते थे, लोग इन गुलामों और बाँदियों के साथ जानवरों से भी ज़्यादा बुरा बर्ताव करते, उनहें न तो ठीक से खाना देते और न कपड़े पहनाते और ज़्यादा से ज़्यादा उन से काम लेते। जब इस्लाम आया तो उस वक़्त ऐसे लोग पाए

जाते थे। आप ने मुलमानों को यह नसीहत की कि उनके साथ इन्सानों का सा बर्ताव करो, उन को वही कुछ खिलाओ जो तुम खाते हो और वह कपड़े पहनाओ जो तुम पहनते हो और उन से केवल उतना ही काम लो जितना उनके बस में हो।

ऐसा ही मामला उन मुस्तक़िल नौकर के साथ होना चाहिए जो रात दिन आप के साथ रहता है। नौकरों के साथ बर्ताव करने के सिलसिले में अबु क़लाबा रज़ि0 की यह रिवायत पढ़िए। अबु क़लाबा रज़ि0 कहते हैं कि हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ि0 के पास गवर्नरी के ज़माने में एक आदमी गया, उसने देखा कि आप अपने हाथ से आटा गुंध रहे हैं, पूछा यह क्या? हज़रत सलमान रज़ि0 ने कहा हमने अपने ख़ादिम को एक काम से बाहर भेज दिया है। और हमें यह पसन्द नहीं है कि उसके ऊपर दोनों कामों का बोझ डाल दें।

97. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि, "जब तुम में से किसी का ख़ादिम खाना पकाए फिर उसे उसके पास लाए और हाल यह हो कि उसने खाना पकाने में गर्मी और धुएं की मुसीबत उठाई है तो मालिक को चाहिए कि उसे साथ बिठा कर खिलाए और अगर खाना थोड़ा हो तो एक लुक़मा (निवाला) या दो लुक़मे

उसमें से उसके हाथ में रख दे।"

{मुस्लिम, अबु हुरैरा}

✦✦✦

बीमार का हाल पूछना

98. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि, "अल्लाह तआला क़यामत के दिन कहेगा ऐ आदम के बेटे! मैं बीमार हुआ था तो तू ने मेरी मिजाज़ पुरसी (सेवा, अयादत) नहीं की तो वह कहेगा कि ऐ मेरे रब! मैं तेरी अयादत कैसे करता तू तो (रब्बुल आलामीन) है। सारे संसार का मालिक है? तो अल्लाह फ़रमाएगा क्या तुझे मालूम नहीं कि मेरा फ़लाँ (अमुक) बन्दा बीमार पड़ा था तो तू ने उसकी अयादत नहीं की, क्या तुझे ख़बर न थी कि अगर उस की अयादत को जाता तो उसके पास मुझे पाता?"

{मुस्लिम, अबु हुरैरा}

अयादत से मतलब सिर्फ़ किसी बीमार के यहाँ चले जाना और उसकी तबियत के बारे में मालूमात करना नहीं है बल्कि बीमार की असल अयादत यह है कि यदि वह ग़रीब हो तो उसकी दवा दारू का इन्तज़ाम किया जाए या ग़रीब तो न हो लेकिन समय पर दवा लाने और पिलाने वाला न हो तो उसकी देख रेख की जाए।

✦✦✦

99. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि, "बीमार की अयादत (मिजाज पुर्सी) करो और भूखे को खाना खिलाओ और कैदी को आजाद करने का इन्तजाम करो।"

{बुखारी, अबु मूसा}

✦✦✦

100. हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजि० फ़रमाते हैं कि, "मरीज के पास अयादत करने के सिलसिले में शोर गुल न करना और कम बैठना सुन्नत है।"

{मिश्कात}

यह नसीहत आम बीमारों के लिए है लेकिन यदि किसी का बेतकल्लुफ़ दोस्त बीमार पड़े और उसे मालूम हो कि वह उसके बैठने को पसन्द करता है तो वह बैठा रह सकता है।

✦✦✦

मुसलमान का हक़ मुसलमान पर

101. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आख़िरी हज में (जिस के बाद आप दुनिया से तशरीफ़ ले गए) सहाबा को ख़िताब करते हुए फ़रमाया :

"सुनो अल्लाह ने तुम्हारे खून और माल और इज़्ज़त को माननीय ठहराया है। जिस तरह तुम्हारा यह दिन, यह महीना और यह शहर इज़्ज़त के योग्य हैं।"

सुनो ! क्या मैं ने तुम को पहुँचा दिया? लोगों ने कहा हाँ आप ने पहुँचा दिया। आप ने फ़रमाया, ऐ अल्लाह तू गवाह रहना कि मैं ने इन लोगो तक पैग़ाम पहुँचा दिया ।यह बात आप ने तीन बार फ़रमाई, फिर आप ने फ़रमाया ! देखो मेरे बाद काफ़िर न बन जाना कि तुम मुसलमान होकर आपस में गर्दन मारने लगो।"

{बुख़ारी}

102. जरार बिन अब्दुल्लाह रजि़0 फ़रमाते हैं "मैं ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैअत की नमाज़ क़ायम करने, ज़कात देने और हर मुसलमान के लिए भलाई चाहने पर।"

{बुख़ारी व मुस्लिम}

बैअत शब्द का अर्थ बेच देना है यानी आदमी जिस के हाथ पर बैअत करता है असल में वह इस बात का वचन देता है कि मैं जीवनभर उस अहद को निभाऊँगा। हज़रत जरार रजि़0 ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तीन बातों का अहद किया। नमाज़ को उसकी सारी शर्तों के साथ अदा करना और ज़कात देना और तीसरी बात यह है कि मुसलमान भाइयों के साथ कोई खोट का व्यवहार न करना उन के साथ मुहब्बत का बर्ताव करना और उन के लिए भलाई चाहना। इस हदीस से मालूम होता है कि मुसलमानों को आपस में किस

तरह रहना चाहिए।

✦✦✦

103. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि, "तू मुसलमानों को आपस में रहम करने, मुहब्बत करने और एक दूसरे की तरफ़ झुकने में ऐसा देखेगा जैसा कि जिस्म का हाल होता है कि अगर एक अंग को कोई बीमारी होती है तो जिस्म के बाकी हिस्से नींद न आने पर भी उसका साथ देते और बुख़ार के साथ भी उसका साथ देते हैं।"

{बुख़ारी व मुस्लिम}

इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को एक दूसरे के दुख, तकलीफ़ में दुखी होने और एक दूसरे के साथ हमदर्दी करने की नसीहत फ़रमाई है। जैसे कि अगर आदमी के जिस्म के किसी हिससे में कहीं दर्द या तकलीफ़ होती है तो उसका प्रभाव सारे जिस्म पर होता है। इसी तरह मुस्लिम समाज में मुसलमानों की भी यही हालत होनी चाहिए कि दूसरो के दुख में दुखी हो और दूसरों की खुशी में खुश हों यही इस हदीस का मतलब है।

✦✦✦

104. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि, "तू अपने भाई की मदद कर चाहे वह जालिम

हो या उस पर ज़ुल्म किया गया हो।" तो एक आदमी ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल उस पर ज़ुल्म होने की हालत में तो मैं उसकी मदद करूँगा लेकिन उसके ज़ालिम होने की हालत में मैं किस तरह मदद करूँगा? तो आप ने फ़रमाया कि "तू उस को ज़ुल्म करने से रोक दे। यही उसकी मदद करना है।"

{बुख़ारी व मुस्लिम}

✦✦✦

105. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि, "मुसलमान, मुसलमान के लिए इमारत की तरह है जिसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से को ताक़त पहुँचाता है।" फिर आप ने एक हाथ की उँगलियों को दूसरे हाथ की उँगलियों में डाल कर बताया।

{बुख़ारी व मुस्लिम}

इस हदीस में मुस्लिम समाज को इमारत से मिसाल देकर समझाया गया है कि जिस तरह ईंट एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, उसी तरह मुसलमानों को आपस में एकता से रहना चाहिए और फिर जिस तरह बिखरी हुई ईंटें आपस में जुड़ कर एक मज़बूत इमारत की शकल ले लेती हैं वैसे ही मुसलमानों की ताक़त भी उनके आपस में जुड़ने में है! अगर वह बिखरी हुई ईंटों की तरह रहे तो उनको हवा का हर झोंका

उड़ा ले जा सकता है।

106. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, "क़सम है उस ज़ात की जिस के क़ब्ज़े में मेरी जान है कोई शख़्स ईमानदार नहीं हो सकता जब तक अपने भाई के लिए वही कुछ पसन्द न करे जो अपने लिए पसन्द करता है।"

{बुख़ारी व मुस्लिम}

✦✦✦

107. हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, "आदमी के लिए जाइज़ (ठीक) नहीं है कि वह अपने भाई से तीन रातो से ज़्यादा बात चीत बन्द रखे कि दोनों रास्ते में एक दूसरे से मिलें तो मुँह फैर लें और दोनों में अच्छा वह है जो सलाम पहले करे।"

{बुख़ारी व मुस्लिम}

यह मुमकिन है कि दो मुसलमान किसी समय किसी बात पर एक दूसरे से नाराज़ हो जाऐं और बात चीत बन्द कर दें लेकिन तीन दिन से ज़्यादा उसको इस हालत पर नहीं रहना चाहिए और आमतौर से ऐसा ही होता है कि दो आदमियों के बीच यदि अन बन हो जाए और वह दोनो कुछ ख़ुदा का ख़ौफ़

और डर रखते हों तो तीन दिन गुज़रने के बाद उनके अन्दर एक दूसरे से मिलने की तीव्र इच्छा पैदा होने लगती है और आख़िर में उन में से एक सलाम में पहल कर के इस शैतान की पैदा की हुई अन बन ख़त्म कर देता है। इसी लिए पहल करने वाले की बड़ाई इस हदीस में बताई गई है।

✦✦✦

108. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि, "अपने आप को बद्गुमानियों से बचाओ। इसलिए कि बद्गुमानी के साथ जो बात की जाएगी वह सब से ज़्यादा झूठी बात होगी। और दूसरे के बारे में ज़्यादा पूछ ताछ करते मत फिरो और न टोह में लगो और न आपस में दलाली करो और न एक दूसरे से छल कपट करो और न एक दूसरे की काट में लगो और अल्लाह के बन्दे बनो, आपस में भाई भाई बन कर ज़िन्दगी गुज़ारो।"

{बुख़ारी व मुस्लिम}

✦✦✦

ग़ैर मुस्लिम शहरियों का हक़

109. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो मुसलमान किसी ग़ैर मुस्लिम शहरी पर ज़ुल्म करेगा या उस के हक़ को मारेगा या उस पर उसकी ताक़त से ज़्यादा बोझ (यानी जज़िया

मुस्लिमों से उनकी रक्षा के लिए टैक्स के सिलसिले में लिया जाता है) डालेगा या उसकी कोई चीज जबरदस्ती ले लेगा तो में खुदा की अदालत में मुसलमान के खिलाफ़ पेश होने वाले मुक़द्में में उस गैर मुस्लिम शहरी का वकील बनकर खड़ा हुँगा।''

{अबु दाऊद}

यहाँ इतनी बात और समझ लिजिए कि इससे पहले पड़ोसी, मेहमान, बीमार और सफ़र के साथियों के जो हुकूक़ बताए गए हैं उन में मुस्लिम व गैर मुस्लिम बराबर हैं।

✦✦✦

पशुओं का हक़

110. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार ऊँट के क़रीब से गुजरे जिस की पीठ उसके पेट से मिल गई थी, तो आप ने कहा कि, ''इन बेजबान जानवरो के बारे में अल्लाह से डरो, इन पर बच्छी हालत में सवार हो और अच्छी हालत में इन को छोड़ो।''

{अबु दाऊद}

मतलब यह है कि जानवर को भूखा रखना ठीक नहीं। इससे खुदा नाखुश होता है। इसलिए जब आदमी जानवर से काम लेना चाहे तो उसे खूब अच्छी तरह खिला पिला ले और

हद से ज़्यादा काम न ले।

111. हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि0) फ़रमाते हैं कि मैं ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना करते सुना है कि, "किसी चौपाए को या इसके अलावा किसी चिड़िया या इन्सान को बान्ध कर खड़ा किया जाए और उस पर तीर बरसाए जाएें।"

✦✦✦

112. "रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवर के चेहरे पर मारने उसके चेहरे को दाग़ने से मना फ़रमाया है।"

{मुस्लिम}

113. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि, "जिस ने किसी गौरय्या या इस से भी छोटी चिड़िया को ख़्वाह मख़्वाह क़त्ल किया तो उसके बारे में अल्लाह तआला पूछ ताछ करेगा।" पूछा गया ऐ अल्लाह के रसूल! चिड़ियों का हक़ क्या है? तो आप ने फ़रमाया, "उनका हक़ यह है कि उन को काट कर खा लिया जाए और सर काटने के बाद उनको यूँ ही फेंक न दिया जाए।"

{मिश्क़ात}

इस हदीस से मालूम हुआ कि जानवरों का शिकार गोशत खाने के इरादे से तो ठीक है लेकिन तफ़रीह के लिए शिकार करने का मतलब यह है कि आदमी शिकार तो कर ले लेकिन गोशत न खाए और यूँ ही मार कर फेंक दे।

✦✦✦

114. "रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों को आपस में लड़ाने से मना फ़रमाया है।"

{तिरमीज़ी}

✦✦✦✦✦✦✦

नैतिक बुराईयाँ

घमन्ड

115. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, "वह शख़्स जिस के दिल में राई के बराबर घमन्ड होगा, जन्नत में दाख़िल न हो सकेगा।" इस पर एक आदमी ने पूछा, आदमी चाहता है कि उसके कपड़े और जूते अच्छे हों (तो क्या यह भी घमन्ड मे दाख़िल है और क्या ऐसी ख़्वाहिश रखने वालों को जन्नत नहीं मिलेगी?) आप ने फ़रमाया (नहीं यह घमन्ड नहीं है) अल्लाह पाक है और सफ़ाई को पसन्द करता है। घमन्ड का मतलब यह है कि अल्लाह का बन्दों पर जो हक़ है उसको पूरा न करे और अल्लाह के बन्दों को हक़ीर (तुच्छ) समझे।"

{मुस्लिम, इब्ने मसूद}

✦✦✦

116. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि, "घमन्ड करने वाला आदमी जन्नत में दाख़िल न होगा और न वह जो झूठी शैख़ी की बातें करता है।"

{अबु दाऊद}

117. इब्ने उमर (रज़ि0) कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, "जो अपना कपड़ा (तहबन्द या पाजामा) घमन्ड से जमीन पर घसीटेगा, अल्लाह क़यामत के दिन उसकी तरफ़ नहीं देखेगा। (रहमत की नज़र नहीं डालेगा)" अबु बक्र सिद्दीक़ रज़ि0 ने कहा कि मेरा तहबन्द ढीला होकर टखने से नीचे चला जाया करता है। अगर में संभालता न रहूँ (तो क्या मैं भी अपने रब की रहमत से महरूम (वाँचित) हो जाऊँगा?) आप (सल्ल0) ने फ़रमाया "नहीं" ! तुम घमन्ड से तहबन्द घसीटने वालों में से नही हो (फिर तुम खुदा की रहमत से क्यों महरूम रहोगे?)"

{बुख़ारी}

हज़रत अबु बक्र (रज़ि) के तहबन्द के ढीला होने की वजह घमन्ड नहीं था बल्कि आप का जिस्म (शरीर) बहुत कमज़ोर था जिस की वजह से आप का तहबन्द ढीला रहता था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को जानते थे कि अबु बक्र का तहबन्द ढीला होने की वजह घमन्ड नहीं है। आप सल्ल0 ने तो एक आम बात कही थी और अबु बक्र (रज़ि0) खुद भी यह समझते थे कि वह स्वयं जान बूझ कर ऐसा नहीं करते लेकिन जब आदमी पर आख़िरत कि फ़िक्र छा जाती है तो गुनाह की परछाईं से भी दूर भागता है।

✦✦✦

अत्याचार

118. औस बिन शुरजील (रज़ि0) कहते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना कि, "जो शख़्स किसी जालिम का साथ देकर उसको ढारस (ताक़त) पहुँचाएगा अगर चे (यद्यपि) वह जानता है कि जालिम है, तो वह इस्लाम से ख़ारिज हो गया।"

{मिश्कात}

मतलब यह कि जानते बूझते किसी ज़ालिम का साथ देना ईमान और इस्लाम के ख़िलाफ़ बात है।

✦✦✦

119. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि, "निर्बल की आह से बचो, इसलिए कि वह अल्लाह तआला से अपना हक़ माँगता है और अल्लाह तआला किसी हक़वाले को उसके हक़ से महरूम नहीं करता।"

{मिश्कात}

इस हदीस में यह बताया गया है कि ऐसे शख़्स की बददुआ और आह से बचते रहना चाहिए कजस पर ज़ुल्म किया गया हो। क्योंकि वह अल्लाह तआला से अपने ऊपर होने वाले ज़ुल्म की शिकायत करेगा और अल्लाह सब से बड़ा

इन्साफ़ करने वाला है। वह किसी हक़दार को उसके हक़ से वंचित नहीं करता और इस वजह से वह ज़ालिम को तरह तरह की परेशानियों में डाल देगा।

✦ ✦ ✦

क्रोध (ग़ुस्सा)

120. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, "ताक़तवर वह शख़्स नहीं है जो कुश्ती में दूसरों को पछाड़ देता है बल्कि ताक़तवर तो असल में वह है जो ग़ुस्से के वक़्त अपने ऊपर क़ाबू रखता है" (यानी गुस्से में आकर कोई ऐसी हरकत नहीं करता जो अल्लाह और रसूल को पसन्द नहीं है)

{बुख़ारी, अबु हुरैरा}

121. हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं, "गुस्सा शैतान के ज़रिए आता है और शैतान आग से बनाया गया है और आग पानी से बुझती है तो जिस किसी को गुस्सा आए वुज़ू करे।"

{अबु दाऊद}

इस हदीस में और दूसरी हदीसों में जिस गुस्से को शैतान का लाया हुआ बताया गया है वह गुस्सा है जो अपनी

ज़ात के लिए आए, रहा वह गुस्सा जो मोमिन को दीन के दुश्मनों पर आता है, ऐसा गुस्सा आना बहुत अच्छा गुण है। अगर कोई दीन को बरबाद कर रहा है तो उस समय गुस्सा न आना ईमान की कमी की पहचान है।

✦✦✦

122. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि, "जब तुम में किसी को खड़े होने की हालत में गुस्सा आए तो बैठ जाए। इस तरह अगर गुस्सा चला गया तो क्या कहना वरना लेट जाए।"

{मिश्कात}

✦✦✦

123. एक आदमी ने (जो तबियत का तेज़ था) हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा मुझे कोई वसियत फ़रमाईये। आप (सल्ल0) ने फ़रमाया। "गुस्सा न किया करो।" उस आदमी ने बार बार कहा कि मुझे वसियत फ़रमाईये। आप ने हर बार यही फ़रमाया, "गुस्सा न किया करो।"

{बुख़ारी, अबु हुरैरा}

✦✦✦

किसी की नक़ल उतारना

124. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया,

"मैं किसी की नक़ल उतारना पसन्द नहीं करता चाहे उसके बदले मुझे बहुत सी दौलत मिले।"

{तिरमिज़ी, आयशा रज़ि०}

✦✦✦

दूसरों की विपदा सुन कर खुश होना

125. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, "तू अपने भाई की मुसीबत पर ख़ुशी मत कर वरना अल्लाह उस पर रहम फ़रमाएगा (और मुसीबत हटा देगा) और तुझे मुसीबत में डाल देगा।"

{तिरमिज़ी}

जिन दो आदमियों के बीच दुशमनी होती है उनमें से किसी एक पर उस दौरान कोई मुसीबत आ पड़ती है तो दूसरा बहुत खुशी मनाता है। यह बात इस्लाम के ख़िलाफ़ है ; मोमिन अपने भाई की मुसीबत पर खुशी नहीं मनाता अगरचे दोनों के बीच झगड़ा ही हो।

✦✦✦

झूठ

126. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि, "सब से बड़ा झूठ यह है कि आदमी अपनी दोनों आँखों को वह चीज़ दिखाए जो उन दोनों

आँखों ने नहीं देखी है।"

{बुख़ारी, इब्ने उमर रज़ि०}

यानी उस ने ख़्वाब तो कुछ भी नहीं देखा लेकिन जागने के बाद कुछ अजीब (विचित्र) और दिलचस्प बातें बताता है। कहता है कि यह मैं ने ख़्वाब में देखा है, ऐसा करना अपनी आँखों से झूठ बुलवाना ही है।

✦✦✦

127. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "चार बातें जिस शख़्स में होंगी वह पक्का मुनाफ़िक़ होगा और जिस शख़्स के अन्दर इनमें से कोई एक बात बुरी है तो उसके अन्दर इनमें से कोई एक बुराई ज़रूर होगी। उसको चाहिए कि उसको छोड़ दे। वह चार बातें यह हैं : जब उसके पास कोई अमानत रखी जाए तो वह ख़यानत करे, जब बात करे तो झूठ बोले, जब वायदा करे तो उसे पूरा न करे और जब किसी से झगड़ हो जाए तो गाली गलोच पर उतर आए।"

{बुख़ारी व मुस्लिम}

✦✦✦

128. सुफ़ियान असीद हज़रमी ने कहा मैं ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह

फ़रमाते सुना है कि, "यह बहुत ही बड़ी ख़यानत है कि तुम अपने भाई से कोई बात कहो और वह तुम्हारी बात को सच समझे हालाँकि जो बात तुम नेउससे कही वह झूठी थी।"

{अबु दाऊद}

129. अब्दुल्लाह बिन मसूद (रजि0) फ़रमाते हैं कि, "झूठ बोलना किसी हालत में ठीक नहीं, न तो सन्जीदगी के साथ और न ही मजाक़ में। यह भी जाइज़ नहीं कि तुम में से कोई अपने बच्चे से किसी चीज़ के देने का वायदा करे और फिर पूरा न करे।"

✦✦✦

130. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि, "ख़राबी और नामुरादी (असफ़लता) उस शख़्स के लिए है जो झूठी बातें इसलिए कहता है कि लोगों को हँसाए, उसका बुरा होगा, उसका बुरा होगा।"

{तिरमिज़ी}

इस हदीस में उन लोगों को ख़बरदार किया गया है जो बात करते हुए कुछ झूठ मिला कर बातों को चटपटी और

मज़ेदार बनाते हैं और लोगों के लिए तफ़रीह और आनन्द पैदा करते हैं।

गन्दी बातें और गाली बकना

131. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि, "सबसे वज़नी (भारी) चीज़ जो क़यामत के दिन मोमिन की मीज़ान (तराज़ू) में रखी जाएगी वह उसका अच्छा अख़्लाक़ होगा और अल्लाह उस शख़्स को पसन्द नहीं करता है जो ज़बान से बेशर्मी की बात निकालता और ज़बान चलाता है।"

{*तिरमिज़ी*}

अच्छे अख़्लाक़ (आचरण) की तारीफ़ करते हुए अब्दुल्लाह बिन अलमुबारक (रज़ि0) ने कहा है कि अच्छा अख़्लाक़ यह है कि आदमी जब किसी से मिले तो हँसते हुए चेहरे से मिले और अल्लाह के ज़रूरतमन्द बन्दों पर माल ख़र्च करे और किसी को कष्ट न पहुँचाए।

दोरूख़ापन

132. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने

फ़रमाया कि, "तुम क़यामत के दिन सब से बुरा आदमी उस शख़्स को पाओगे जो दुनिया में दो चेहरे रखता था, कुछ लोगों से एक चेहरे के साथ मिलता था और दूसरे लोगों से दूसरे चेहरे के साथ।"

{बुख़ारी, मुस्लिम, अबु हुरैरा}

दो आदमियों या दो पार्टियों में जब अन बन पैदा होती है तो हर जगह कुछ लोग ऐसे भी पाए जाते हैं जो दोनों के पास पहुँचते हैं और दोनों की हाँ में हाँ मिलाते हैं और उन की आपस की दुश्मनी को बातें बना बना कर और हवा देते हैं यह बहुत बड़ी बुराई है। इसी तरह कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक आदमी की उस के सामने तो बड़ी तारीफ़ें करते हैं लेकिन उसके पीछे लोगों में उसकी बुराईयाँ और उसे बदनाम करने वाली बातें करते हैं। यह भी दोग़लापन (दोरूख़ापन) ही है।

✦✦✦

ग़ीबत (पीठ पीछे बुरा कहना)

133. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, "क्या तुमहें मालूम है कि ग़ीबत क्या है? लोगों ने कहा अल्लाह और उस के रसूल ज़्यादा जानते हैं। आप ने फ़रमाया ग़ीबत यह है कि तू अपने भाई का जिक्र ऐसे ढ़ंग से करे जिसे वह पसन्द नहीं

करता। फिर आप से पूछा गया कि बताइये अगर वह बात जो मैं कह रहा हूँ मेरे भाई के अन्दर पाई जाती हो जब भी यह ग़ीबत होगी? आप ने फ़रमाया अगर वह बात जो तू कहता है उसके अन्दर हो तो यह ग़ीबत हुई और यदि उसके बारे में वह बात कही जाए जो उसके अन्दर नहीं है तो तू ने उस पर इल्ज़ाम (आरोप) लगाया।"

{मिश्कात, अबु हुरैरा}

मोमिन को उस की कमज़ोरियों पर उसकी अच्छाई और भलाई को सामने रख कर टोका जाए तो ज़ाहिर है वह बुरा न मानेगा क्योंकि यह उसके सुधार का एक तरीक़ा है। लेकिन यदि एक मोमिन के बारे में सोसायटी समाज में उसकी कमज़ोरियाँ और बुराईयाँ उसके पीछे इस तरह से कही जाऐं जिसकी वजह से वह बदनाम हो जाए और लोगों की नज़रों से गिर जाए तो ऐसे शख़्स को तकलीफ़ होनी ही चाहिए। इसके अतिरिक्त वह आदमी जो जानते बूझते खुदा की नाफ़रमानी करता है और किसी तरह नहीं मानता तो उसकी बुराई करना ग़ीबत नहीं है बल्कि उसकी बुराईयों को ज़ाहिर करना बहुत बड़ी नेकी की बात है, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा करने की नसीहत फ़रमाई है।

✦✦✦

134. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने

फ़रमाया कि, "ग़ीबत, ज़िना (व्यभिचार) से भी बड़ा गुनाह है लोगों ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल! ग़ीबत, ज़िना से बड़ा गुनाह क्यों है? आप ने फ़रमाया कि आदमी ज़िना करता है फिर तौबा करता है तो अल्लाह उसकी तौबा सुन कर माफ़ कर देता है, लेकिन ग़ीबत करने वाले को माफ़ नहीं करेगा जब तक वह शख़्स उसको माफ़ न करदे जिसकी उसने ग़ीबत की है।"

{मिश्कात}

135. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि, "ग़ीबत का कफ़्फ़ारा यह है कि बख़्शने (क्षमा करने) की दुआ करे उस शख़्स के लिए जिसकी तूने ग़ीबत की है। यूँ कहे कि ऐ अल्लाह! मेरी और उसकी बख़्शिश फ़रमा।"

{मिश्कात}

अगर वह शख़्स मौजूद है और उससे अपनी ग़लती या जुर्म (अपराध) माफ़ कराया जा सकता है तो माफ़ कराए और यदि माफ़ी की कोई सूरत बाक़ी नहीं रही है, उसके मर जाने की वजह से या कहीं दूर जा बसने के कारण तो फिर उसके लिए बख़्शिश की दुआ के सिवाए कोई रास्ता नहीं।"

नाजाइज़ हिमायत और तरफ़दारी

136. रावी अबु फ़सीला (रजि0) कहते हैं कि मैं ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि "अपने लोगों से मुहब्बत करना क्या उसबियत (पक्ष-पात) है? आप ने फ़रमाया, नहीं बल्कि उसबियत यह है कि आदमी ज़ुल्म के मामले में अपनी क़ौम का साथ दे।"

{मिश्कात}

✦✦✦

137. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो शख़्स किसी नाजाइज़ मामले में अपनी क़ौम की मदद करता है तो उसकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई ऊँट कुऐं में गिर रहा हो और वह उसकी दुम पकड़ कर उस में लटक गया हो तो वह भी उसके साथ जा गिरा।"

{अबु दाऊद, इब्ने मसूद}

✦✦✦

138. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि, "वह शख़्स हम में से नहीं जो उसबियत (पक्षपात) की दावत दे और वह शख़्स भी हम में से नहीं है जो उसबियत की बुनियाद पर लड़ाई करे और हम में से वह भी नहीं है जो उसबियत की हालत में मरे।"

{अबु दाऊद}

उसबियत का मतलब है "मैरी अपनी कौ़म" चाहे वह हक़ पर न हो, इस बात की दावत देना, इस बात पर लड़ाई लड़ना और इसी बात पर मरना मुसलमान का काम नहीं है।

✦✦✦

झूठी तारीफ़ करना

139. *रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, "जब तुम झूठी तारीफ़ करने वालों को देखो तो उनके मुँह पर मिट्टी फेंको।"*

{मुस्लिम}

तारीफ़ करने वालों से मुराद वह लोग हैं, जिनका पेशा या काम ही दूसरों की प्रशंसा और तारीफ़ करना होता है यह लोग आते हैं और उस शख़्स की तारीफ़ में ज़मीन आसमान के कुलाबे मिलाते हैं ताकि कुछ और (बख़्शिश) मिल जाए। यह तारीफ़ शायरी में भी हो सकती है। और सीधी सादी बोल चाल की भाषा में भी। ऐसे लोगों के बारे में नसीहत की गई है कि जब वह इनाम और बख़्शिश की नियत से झूठी तारीफ़ करने के लिए आएं तो उन के मुँह पर ख़ाक डालो यानी उनको उनके मक़सद में नाकाम (असफ़ल) लौटा दो।"

✦✦✦

140. हज़रत अबु बक्र (रज़ि0) कहते हैं, "एक आदमी ने एक आदमी की नबी सल्ल0 के सामने तारीफ़ की तो आप ने फ़रमाया, अफ़सोस तूने अपने भाई की गरदन काट डाली। (यह बात आप ने तीन बार फ़रमाई) तुम में से जो शख़्स किसी की तारीफ़ करे और ऐसा करना ज़रूरी हो तो यूँ कहे कि मैं अमुक व्यक्ति को ऐसा ख़्याल करता हूँ और अल्लाह इसे अच्छी तरह जानता है। लेकिन शर्त यह है कि वह समझता हो कि वह शख़्स असल में ऐसा ही है और किसी की तारीफ़ ख़ुदा के मुक़ाबले में न करे।"

{बुख़ारी, मुस्लिम}

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में एक शख़्स के तक़्वे और उसकी अच्छी हालत की तारीफ़ की गई थी। स्पष्ट है कि ऐसी हालत में आदमी के रिया (दिखावे के कामों) में पड़ जाने का डर था। इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फ़रमाया और कहा कि तू ने अपने भाई को हलाक कर दिया। फिर आप ने यह हिदायत फ़रमाई कि यदि किसी शख़्स के बारे में कुछ कहना ही पड़ जाए तो यूँ कहो कि मैं उस शख़्स को नेक समझता हूँ और इस तरह न कहो कि वह शख़्स अल्लाह का वली है या अमुक व्यक्तिज़रूर ज़रूर जन्नत में जाने वाला है। इस तरह कहने का किसी बन्दे को कोई हक़ नहीं है क्योंकि क्या मालूम कि जिसको वह

जन्नत में जानेवाला कह रहा है वह खुदा की नज़र में भी जन्नती है कि नहीं। जब तक आदमी ज़िन्दा है तब तक उसकी ज़िन्दगी और उसका ईमान आज़माईश (परीक्षा) में ही है। क्या मालूम कि कब आदमी का दिल पलट जाए और सीधा रास्ता खो दे। इसलिए आदमी के बारे में यक़ीन के साथ कोई बात नहीं कहना चाहिए और मरने के बाद भी किसी के बारे में यूँ न कहना चाहिए कि वह जन्नती है।

✦✦✦

झूठी गवाही

141. ख़रीम बिन फ़ातिक (रजि0) कहते है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की नमाज़ पढ़ाई और जब लोगों की तरफ़ रूख़ फैरा तो बैठे रहने के बजाए आप सीधे खड़े हो गए और तीन बार फ़रमाया, "झूठी गवाही देना और शिर्क करना दोनों बराबर के गुनाह हैं।" फिर आप ने कहा "तुम नापाकी यानी बूरी बातों से दूर रहो और ख़ुदा के लिए यकसु (एकान्त) हो जाओ, शिर्क छोड़ कर तौहीद को मानो।"

{अबु दाऊद}

इस हदीस में खुदा के लिए यकसू हो जाने का मतलब यह है कि खुदा की मर्ज़ी और हुक्म के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं किया जाए।

✦✦✦

बुरा मज़ाक़; वायदा ख़िलाफ़ी; झगड़ा

142. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "तू अपने भाई से मुनाज़िरा (वाद विवाद) न कर और न उससे मज़ाक़ कर और न ही वायदा कर के उसके ख़िलाफ़ काम कर।"

{तिरमिज़ी}

मुनाज़िरे (वाद विवाद) में ऐसा होता है कि ऐक शख़्स अपने मुख़ालिफ़ शख़्स को हराना चाहता है। वाद विवाद करने वाले को चाहिए कि वह अपनी बात बहुत ही नरमी से कहे लेकिन आम तौर पर उसमें ऐसी भावना कम होती है। यहाँ जिस हंसी और दिललगी से रोका गया है उससे ऐसी दिललगी मुराद है जिससे आदमी का दिल दुखे और मज़ाक़ करने वाले का मक़सद अपने मुख़ालिफ़ को नीचा दिखाना हो हँसने बोलने से नहीं रोका गया है लेकिन हँसने बोलने और नाजाइज़ मज़ाक़ और दिल लगी में बाल बराबर फ़र्क़ (अन्तर) है। इसलिए बहुत होशियार रहने की ज़रूरत है।

✦✦✦

दोष देना

143. हज़रत आयशा रज़ि0 फ़रमाती हैं कि मैं ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से (एक मौक़े पर) कहा कि "सफ़िया रज़ि0 का यह ऐब है कि वह ऐसी

हैं, (यानि यह कि वह पस्ता क़द औरत है और यह बहुत बड़ा ऐब है) आपने (सल्ल0) ने फ़रमाया कि आयशा (रजि0) तुम ने इतने गन्दे बोल मुँह से निकाले हैं कि अगर उन्हें समन्दर में घोल दिया जाए तो पूरे समन्दर को गन्दा कर दें।"

{मिश्कात}

✦ ✦ ✦

चुग़ली करना

144. हज़रत हुज़ैफ़ा (रजि0) ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि, "चुग़ली करने वाला जन्नत में नहीं दाख़िल होगा।"

{बुख़ारी व मुस्लिम}

✦ ✦ ✦

145. हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फ़रमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो क़बरों के पास से गुज़रे तो आप ने बताया कि, "इन दोनो पर अज़ाब हो रहा है और यह अज़ाब किसी ऐसी चीज़ पर नहीं हो रहा है जिसे वह छोड़ नहीं सकते थे। अगर चाहते तो आसानी से उससे बच सकते थे, बिला शुबा (निःसन्देह) उनका जुर्म (अपराध) बड़ा है। उनमें से एक चुग़ली किया करता था और दूसरा अपने

पैशाब की छींटों से बचता नहीं था।"

{बुख़ारी}

✦✦✦

दूसरों को देख कर जलना

146. हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "अपने को हसद (ईर्ष्या) से बचाओ इसलिए कि हसद नेकियों को इस तरह भस्म करता है जिस तरह आग लकड़ी को भस्म कर डालती है।"

{अबु दाऊद}

✦✦✦

बुरी नज़र से देखना

147. जरार बिन अब्दुल्लाह रजि० कहते हैं कि, "मैं ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अजनबी (अन्जान) औरत पर अचानक नजर पड़ जाने के बारे में पूछा तो आप ने फ़रमाया तुम अपनी निगाह फैर लो।"

{मुस्लिम}

✦✦✦

148. बुरीदा रजि० कहते हैं कि, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजि० से फ़रमाया "ऐ अली रजि० किसी अजनबी औरत पर अचानक

निगाह पड़ जाए तो नजर फेर लो, दूसरी निगाह उस पर न डालो। पहली निगाह तो तुम्हारी है और दूसरी निगाह तुम्हारी नहीं है (बल्कि शैतान की है)''

{*अबु दाऊद*}

✦✦✦✦✦✦✦

अच्छी आदतें

149. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि, "मुझे अल्लाह की तरफ़ से भेजा गया है ताकि अख़लाक़ी अच्छाइयों को पूरा करूँ और कमाल तक पहुँचाऊँ।"

{मुअत्ता इमाम मालिक}

यानी आप की नबुव्वत का मक़सद यह है कि लोगों के अख़लाक़ व मामलात को ठीक करें। उनके अन्दर से बुरे अख़लाक़ दूर करें और अच्छे अख़लाक़ पैदा करें। हुज़ूर सल्ल0 ने अख़लाक़ की सभी अच्छी बातें बताईं और स्वयं उन पर अमल करके दिखाया और साथ ही पूरे जीवन में और जीवन के सभी मामलात में उनको राइज किया और हर हाल में उनमें चिपटे रहने की नसीहत की।

"अच्छा अख़लाक़" क्या है? इसकी व्याख्या अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक (रज़ि0) ने इन शब्दों में की है कि "अच्छा अख़लाक़, अच्छी तरह मिलने का माल ख़र्च करने का, किसी को तकलीफ़ न देने का नाम है।"

✦✦✦

150. हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमरो बिन उल आस कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न तो बेशर्मी की बात ज़बान से निकालते और न बेशर्मी का काम करते और न दूसरों को बुरा भला कहते और हुज़ूर सल्ल० फ़रमाते थे कि तुम में अच्छे लोग वह हैं जो अख़लाक़ के अच्छे हैं।"

{बुख़ारी व मुस्लिम}

✦✦✦

151. हज़रत मआज़ कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे यमन में भेजते वक़्त जो आख़िरी वसीयत रकाब पर पैर रखते समय फ़रमाई वह यह थी कि, "लोगों के साथ अच्छे अख़लाक़ से पेश आना।"

{मुअत्ता इमाम मालिक}

✦✦✦

सादगी व सफ़ाई

152. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि, "सादा ज़िन्दगी गुज़ारना भी ईमान है।"

{अबु दाऊद}

यानी सादगी की हालत में जीवन बसर करना मोमिनों की अच्छाईयों में से एक है। उसे तो अपनी आख़िरत बनाने

और संवारने की धुन होती है। उसे दुनिया की दिलचसपियो से कोई सरोकार नहीं होता।

153. हज़रत जाबिर फ़रमाते हैं कि हमारे यहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुलाक़ात के लिए आए तो आप ने एक आदमी को देखा जो धूल में अटा हुआ था और बाल बिखरे हुए थे। आप (सल्ल0) ने फ़रमाया "क्या इस आदमी के पास कोई कंघा नहीं है जिस से यह अपने बालों को ठीक कर लेता?" और आपने एक दूसरे आदमी को देखा जिस ने मैले कपड़े पहन रखे थे, आप ने फ़रमाया क्या इस आदमी के पास वह चीज़ (साबुन वग़ैरह) नहीं है जिस से यह अपने कपड़े धो लेता?"

{मिश्कात}

154. अबुल आस रज़ि0 कहते हैं कि उनके वालिद ने बताया कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया। उस वक़्त मेरे कपड़े मामूली और घाटिया थे। "आप ने पूछा क्या तुम्हारे पास माल है? मैं ने कहा हाँ, आप ने पूछा किस तरह का माल है? मैंने कहा, हर तरह का माल अल्लाह ने मुझे दे रखा है। ऊँट भी हैं, गाऐं भी हैं, बकरियाँ भी हैं, घोड़े भी हैं और ग़ुलाम भी हैं। आप (सल्ल0) ने

फ़रमाया कि जब अल्लाह ने माल दे रखा है तो उसकी महरबानी और एहसान का असर और निशान तुम्हारे जिस्म (शरीर) पर ज़ाहिर होना चाहिए था।"

{मिश्क़ात}

मतलब यह है कि जब अल्लाह ने सब कुछ दे रखा है तो अपनी हैसियत के मुताबिक़ खाओ, पहनो, यह क्या कि आदमी के पास घर में होने को तो सब कुछ हो लेकिन हालत ऐसी बनाए कि जैसे वह बहुत ग़रीब है। यह बड़ी बुरी आदत है। यह खुदा की ना शुक्री है।

✦✦✦

सलाम

155. हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक आदमी ने पूछा, "इस्लाम का कौन सा काम अच्छा है? आपने फ़रमाया, ग़रीबों, मिस्कीनों को खाना खिलाना और हर मुसलमान को सलाम करना, चाहे तू उसे पहचानता हो या न पहचानता हो।"(यानी पहले से दोस्ती और बेतकल्लुफ़ी हो या न हो)

{बुख़ारी, मुस्लिम, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि.}

✦✦✦

156. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "तुम लोग जन्नत में नहीं जा सकते जब तक कि मोमिन नहीं बनते। और तुम मोमिन नहीं बन सकते जब तक आपस में मुहब्बत न करो। क्या मैं तुम्हें वह तदबीर न बताऊँ जिस को अगर करो तो आपस में एक दूसरे से मुहब्बत करने लगो? आपस में सलाम को फैलाओ।"

{मुस्लिम, अबु हुरैरा}

इस हदीस से मालूम हुआ कि मुसलमान आपस में एक दूसरे से मुहब्बत करें और मुहब्बत से मिलें जुलें, या उनमें आपस में सलाम करने का रिवाज हो जाए और लोगों को सलाम के माइने मालूम हों यह एक बहुत बड़ी दुआ है जो आदमी एक दूसरे के लिए खुदा से चाहता है।

✦✦✦

ज़बान की हिफ़ाज़त

157. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, "अगर कोई शख़्स मुझे अपनी जबान और अपनी शर्मगाह की हिफ़ाजत की जमानत दे दे तो मैं उसके लिए जन्नत की जमानत ले लूँगा।"

{बुख़ारी, अबु हुरैरा}

इन्सान के जिस्म में यह दो ख़तरनाक और कमज़ोर

जगह हैं जहाँ पर शैतान को हमला करने में बड़ी आसानी है। ज़्यादातर गुनाह इन्हीं दोनों से होते हैं। अगर कोई शैतान के हमलों से इनको बचा लेगा तो ज़ाहिर है कि उसके रहने की असल जगह जन्नत ही होगी।

✦✦✦

दीन का इल्म सीखना

158. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि, "जिस शख़्स के साथ अल्लाह तआला भलाई करना चाहता है उसे अपने दीन का इल्म समझा देता है।"

{बुख़ारी, मुस्लिम}

यह सपष्ट ही है कि सारी भलाइयाँ और अच्छाइयाँ जो आदमी करता है वह दीन के इल्म को हासिल करने और उस को समझ कर अमल करने से ही पैदा होती हैं। जिस ने यह इल्म हासिल किया और उस पर अमल किया तो उसे दीन व दुनिया दोनों की खुशनसीबी (सौभाग्य) मिली। वह उससे अपनी ज़िन्दगी को ठीक तरह गुज़ारेगा और साथ साथ दूसरे बन्दों के जीवन को भी संवारने की कोशिश करेगा।

✦✦✦

159. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, "जो शख़्स दीन का इल्म हासिल करने

के लिए सफ़र करे तो अल्लाह उसके लिए जन्नत की राह आसान करेगा और जो लोग अल्लाह के घरों में से किसी घर (मस्जिद) में इकट्ठे हो कर अल्लाह की किताब पढ़ते और उस पर बात चीत करते हैं उन पर अल्लाह तआला की तरफ़ से उनके ईमान को सन्तोष मिलता है, (उसकी) रह्मत उनको ढाँप लेती है, फ़रिश्ते उनको बीच में ले लेते हैं और अल्लाह तआला उन लोगों का ज़िक्र अपने फ़रिश्तों की मजलिस में फ़रमाते हैं, और जिस को उसके अमल ने पीछे डाल दिया उसका नसब (वंश) उसे आगे नहीं बढ़ा सकता।"

{मुस्लिम}

इस हदीस में हुज़ूर ने एक तरफ़ दीन का इल्म हासिल करने वालों को खुशख़बरी दी है और दूसरी तरफ़ उनको उस ख़तरे के बारे में बताया है कि दीन का इल्म सीखने का मक़सद उस पर अमल करना है। अगर किसी ने अमल नहीं किया तो अपने सारे इल्म के होने पर भी वह पीछे रह जाएगा और न उसके ख़ानदान की बड़ाई कुछ काम आएगी। आदमी को ऊँचा उठाने वाली चीज़ केवल अमल है।

✦✦✦

शुक्र

160. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने

फ़रमाया कि, "जो खाना खाए और फिर कहे, शुक्र है अल्लाह का जिसने मुझे यह खाना दिया बग़ैर मेरी अपनी तदबीर और ताक़त के, तो उससे जो गुनाह पहले हो चुके हैं माफ़ हो जाऐंगे।"

{अबु दाऊद}

एक शख़्स खाना खा कर यह कहता है कि अल्लाह जो नेमतें देने वाला है और एहसान करने वाला है, उसने मुझे खाना दिया। इसमें मेरी अपनी कोशिश और मेरी क़बिलयत का कोई दख़ल नहीं है। मैं तो बहुत ही कमज़ोर और लाचार मख़्लूक़ (मनुष्य) हूँ और जो कुछ मेरे पास है वह सब ख़ुदा ही की देन है और यह खाना भी उसी की देन है। यदि वह न देता तो मुझे कहाँ से मिलता। जिस आदमी का हाल यह हो कि मेहनत करके कमाता है और कमाई सामने आती हो तो कहता है कि यह मेरे रब की देन है तो सोचने की बात है कि वह जाने बुझे भी गुनाह नहीं करेगा और अगर कभी गुनाह हो भी जाए तो फ़ौरन माफ़ी के लिए अपने रब से नहीं गिड़गिड़ाएगा? ज़ाहिर है उसके गुनाह मुआफ़ न होंगे तो और किसके होंगे।

✦✦✦

161. हज़रत अबुसईद ख़ुजरी (रज़ि0) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई नया कपड़ा पहनते अमामा, कुर्ता या चादर

तो उसका नाम लेकर फ़रमाते, "ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे यह पहनाया, मैं तुझ से इसकी भलाई चाहता हूँ और जिस लिए यह बनाया गया है उसके अच्छे पहलू की चाहत रखता हूँ और मैं तेरी पनाह (शरण) में अपने आप को देता हूँ, इस कपड़े की बुराई से और इस मक़सद के बुरे पहलू से जिसके लिए यह बनाया गया है।"

{अबु दाऊद}

कपड़ा हो या कोई दूसरी चीज़ उसका इसतेमाल बुराई में भी हो सकता है और भलाई में भी। मोमिन कपड़े को खुदा का इनाम समझता है और उसके मिलने पर खुदा का शुक्र अदा करता है और अल्लाह से दुआ करता है कि मैं यह नेमत इस्तेमाल करते हुए कोई बुरा काम न करूँ बल्कि मेरे लिए इस्का इस्तेमाल अच्छे मक़सद में हो। मोमिन के इस तरह सोचने का ढंग सिर्फ़ कपड़े के लिए ही नहीं होता बल्कि हर नेमत पाकर वह ऐसा ही सोचता है और इसी तरह की दुआ माँगता है।

162. हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि0) फ़रमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को सोने के लिए लेटते तो अपना हाथ गाल के नीचे रखते और फ़रमाते, "ऐ अल्लाह मैं तेरे नाम के साथ मरता

हूँ और जिन्दा होता हूँ।" और जब जागते तो यह दुआ फ़रमाते थे कि "शुक्र है अल्लाह का कि उसने हम को जिन्दा किया मौत देने के बाद और हम को फिर जीकर उसके पास जाना है।"

{बुख़ारी}

163. अबु सईद खुजरी (रजि0) कहते हैं कि हजरत मुआविया (रजि0) ने बताया कि एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर निकल आए तो देखा कि कुछ लोग इकट्ठे बैठे हैं। आप (सल्ल0) ने पूछा कि "साथियों ! तुम यहाँ क्यों बैठे हो और क्या कर रहे हो?" उन्होंने कहा कि हम यहाँ बैठ कर अल्लाह को याद कर रहे हैं, उसके वह एहसान (उपकार) जो उसने हम पर किए हम उन्हें याद कर रहे हैं कि अल्लाह ने हमारे पास अपना दीन भेजा और हमें ईमान बख़्शा और हम को सीधा रास्ता दिखाया ।

{मुस्लिम}

जब आदमी के अपने दिल में आख़िरत की फ़िक्र अच्छी तरह घर कर लेती है तो सोते वक़्त उसका हाल यह होता है कि वह अल्लाह का नाम लेता है और कहता है कि खुदा का नाम मेरे साथ हर समय रहे। मरते समय भी और ज़िन्दगी में भी, सोते वक़्त भी और सोकर उठने के बाद भी और जब वह

सोकर उठता है तो अल्लाह का शुक्र करता है कि उसने अमल के लिए और मोक़ा दे दिया, अगर कल मैं ने कोई कमी या ग़लती की थी तो आज मुझे वह ग़लती नहीं करनी चाहिए और यह एक दिन की जो छूट मिली है उससे लाभ उठाना चाहिए।

यही हाल उसका हर दिन होता है जब वह सोकर उठता है तो उसे आख़िरत और उसका हिसाब किताब याद आ जाता है कि मेरी एक दिन मौत आएगी और फिर ज़िन्दा हो कर हिसाब के लिए रब के पास जाना है। अगर ज़िन्दगी की इस मुहलत (अवसर) को खो दिया तो उसे कैसे मुँह दिखाऊँगा और क्या जवाब दूँगा।

✦✦✦

164. हज़रत अबु अशअरी (रज़ि0) कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि, "जब किसी बन्दे की कोई औलाद (सन्तान) मरती है तो अल्लाह तआला अपने फ़रिशतों से पूछता है, 'क्या तुमने मेरे बन्दे की औलाद की जान निकाली है?' वह कहते हैं, हाँ, फिर वह उन से पूछता है, कि 'मेरे बन्दे ने क्या कहा?' वह कहते हैं, इस मुसीबत पर उसने तेरा शुक्र किया और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा। तब अल्लाह उन से कहता है कि मेरे इस बन्दे के लिए जन्नत में एक घर बनाओ और उसका नाम बैत उल हम्द (शुक्र का घर) रखो।"

{तिरमिज़ी}

इस मोमिन बन्दे ने हम्द की यानी यह कहा कि ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं औलाद के छिन जाने पर तेरे बारे में बुरा नहीं सोचता। तू जो कुछ करता है वह नाइन्साफ़ी और जुल्म नहीं होता। अपनी चीज़ अगर कोई ले ले तो उस पर नाराज़ी क्यों ?

"इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन" यह सब्र का कल्मा है और इन्सान को सब्र की तालीम देता है। क्योंकि इसका अर्थ यह है कि हम अल्लाह के ग़ुलाम और बन्दे हैं। हमारा काम उसकी ख़्वाहिश (इच्छा) के मुताबिक़ दुनिया में ज़िन्दगी गुज़ारना है और हम उसी के पास लौट कर जाएंगे। अगर हम ने मुसीबत पर सब्र किया तो अच्छा बदला मिलेगा वरना बुरा बदला पाएंगे। दुनिया की हर चीज़ ख़त्म होने वाली है। इस तरह का सोचना मुसीबत को आसान कर देता है।

✦✦✦

शर्म

165. *"रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि हया (शर्म) की सिफ़्त (गुण) सिर्फ़ अच्छाई लाने वाली है।"*

{बुख़ारी व मुस्लिम}

यानी शर्म या हया एक ऐसा गुण है जिसमें भलाई ही भलाई है जिस आदमी के अन्दर शर्म या हया का गुण होगा

वह बुराई के पास न जाएगा और भलाई व नेकी की तरफ़ बढ़ेगा।

✦✦✦

सब्र और जमाओ

166. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया 'जो शख़्स सब्र करने की कोशिश करेगा अल्लाह उसको सब्र देगा और सब्र से ज़्यादा अच्छी और बहुत सी भलाइयों को समेटने वाली बख़्शिश (देन) और कोई नहीं है।''

{बुख़ारी व मुस्लिम}

कोई शख़्स आज़माइश (परीक्षा) में पड़ने पर सब्र नहीं कर सकता जब तक कि ख़ुदा पर उसको पूरा पूरा भरोसा और यक़ीन न हो, फिर वह शख़्स कभी भी सब्र नहीं कर सकता जिसके अन्दर शुक्र की भावना न पाई जाए। सब्र और शुक्र यह दो ऐसे गुण हैं जो एक बन्दे को अल्लाह की सबसे बड़ी देन समझना चाहिए क्योंकि इन्हीं के सहारे बन्दा अल्लाह तआला की रहमत और हमदर्दी हासिल करता है।

✦✦✦

167. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ''मोमिन मर्दों और औरतों पर समय समय पर आजमाईशें आती रहती हैं कभी ख़ुद उस पर मुसीबत आती है, कभी उसकी सन्तान पर आती है,

कभी उसका माल बरबाद हो जाता है (और इस तरह उसके क़ल्ब (हृदय) की सफ़ाई होती रहती है और बुराईयों से दूर होता रहता है) यहाँ तक कि जब अल्लाह से मिलता है तो इस हाल में मिलता है कि उसके कर्म पत्र में कोई गुनाह नहीं होता।"

{*तिरमिज़ी, अबु हुरैरा*}

✦✦✦

168. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि, "आजमाइश जितनी सख़्त होगी उतना ही बड़ा इनाम मिलेगा (इस शर्त पर कि आदमी मुसीबत से घबरा कर सच्चाई के रास्ते से भाग न खड़ा हो) और अल्लाह तआला जब किसी गिरोह (लोगों के समूह) से मुहब्बत करता है तो उनको (ज़्यादा निखारने और संवारने के लिए) आजमाइशों में डालता है। इसलिए जो लोग ख़ुदा के फ़ैसले पर राज़ी रहें और सब्र करे तो अल्लाह उनसे ख़ुश होता है और जो लोग इस आजमाइश में अल्लाह से नाराज़ हों तो अल्लाह भी उनसे नाराज़ हो जाता है।"

{*तिरमिज़ी*}

✦✦✦

169. हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि, "जिस किसी मुसलमान को कोई क़ल्बी (हार्दिक) तकलीफ़, कोई जिस्मानी बीमारी, कोई दुख और कोई ग़म पहुँचता है और वह उस पर सब्र

करता है तो उसके नतीजे में अल्लाह तआला उसकी ख़ताओं (अपराध) को मुआफ़ करता है, यहाँ तक कि अगर उसे एक काँटा चुभ जाता है तो वह भी उसके गुनाहों की मुआफ़ी का कारण बनता है।"

{बुख़ारी व मुस्लिम}

✦✦✦

170. सुफ़ियान (रज़ि0) बिन अब्दुल्लाह फ़रमाते हैं कि मैं ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा इस्लाम के सिलसिले में ऐसी मुकम्मल (पूर्ण) बात मुझे बता दीजिए कि फिर किसी और से मुझे पूछने की ज़रूरत न पड़े, आप ने फ़रमाया कि, "आमन्तु बिल्लाही" यानी मैं अल्लाह पर ईमान लाया कहो फिर उस पर जम जाओ।"

{मुस्लिम}

इस हदीस में यह बताया गया है कि जो दीने तौहीद (इस्लाम) को अपनाए उसे अपनी ज़िन्दगी का दीन बनाए और फिर कैसे ही कठिन समय से गुज़रना पड़े, उस पर जमा रहे, यही बात उसके लिए दुनिया और आख़िरत में कामयाबी की कुन्जी है।

✦✦✦

171. हज़रत मिक़दाद रज़ि0 कहते हैं कि मैं ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़रमाते हुए

सुना कि, "बिला शुबा खुशनसीब (भाग्यशाली) है वह शख़्स जो फ़ित्नों से बचा रहा।" यह बात आप (सल्ल0) ने तीन बार कही लेकिन "जो आजमाइश (परीक्षा) में डाला गया फिर भी हक़ पर जमा रहा तो उसके क्या कहने, ऐसे शख़्स के लिए शाबाशी है।"

{अबु दाऊद}

फ़ित्नों से मतलब आज़माइशें हैं जिन से मोमिन को उस ज़माने में दोचार होना पड़ता है जब बातिल (झूठ) हक़ (सच्चाई) पर छाया हुआ हो तो सच्चाई का रास्ता अपनाने वालों को कैसी कैसी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, इसका वर्णन करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ज़माने में बातिल और उसके अपनाने वालों की पैदा की हुई रूकावटों और डाली हुई मुसीबतों के होने पर भी एक शख़्स हक़ पर क़ायम रहता है तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में उसे शाबाशी और दुआ का हक़दार बताया है।

✦✦✦

ख़ुदा पर भरोसा

172. हज़रत उमर (रज़ि0) फ़रमाते हैं कि मैं ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फ़रमाते सुना कि "तुम लोग अगर अल्लाह पर

ठीक से तवक्कुल (भरोसा) करो तो वह तुम्हें रोजी देगा जैसे कि वह चिड़ीयों को रोजी देता है कि वह सवेरे जब रोजी की खोज में निकलती हैं तो उनके पेट पटके हुए होते हैं और शाम को जब अपने घोंसले में आती हैं तो उनके पेट भरे होते हैं।"

{*तिरमिज़ी*}

173. ऐक आदमी ने कहा कि "ऐ अल्लाह के रसूल! मैं अपनी ऊँटनी को बाँधु और अल्लाह पर भरोसा करूँ या उसे छोड़ दूँ और भरोसा करूँ?" आप ने फ़रमाया "पहले तुम उसे बाँधो फिर भरोसा करो।"

{*तिरमिज़ी*}

किसी चीज़ को हासिल करने की जो कोशिश हो सकती है वह पूरी तरह करे और फिर खुदा से दुआ करे कि मैं ने तो अपनी ताक़त और शक्ति भर कोशिश कर ली, अब तू मदद फ़रमा। यह है भरोसा।

तोबा व अस्तिग़फ़ार

174. अनस इब्ने मालिक (रजि0) कहते हैं कि

नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "बन्दा गुनाह करने के बाद मुआफ़ी माँगने के लिए जब अल्लाह की तरफ़ पलटता है तो अल्लाह को अपने बन्दे के पलटने पर उस शख़्स के मुक़ाबले में ज़्यादा ख़ुशी होती है जिस ने अपनी ऊँटनी जिस पर उसकी अपनी ज़िन्दगी निर्भर थी, किसी जंगल में खो दी हो, फिर अचानक उसे पा लिया हो तो वह उस ऊँटनी को पा कर जितना ख़ुश होगा, इसका अन्दाज़ा नहीं किया जा सकता, ऐसे ही आदमी के तोबा करने पर अल्लाह ख़ुश होता है, बल्कि ख़ुदा की ख़ुशी उसके मुक़ाबले में बढ़ी हुई होती है, क्योंकि वह रहम और दया का स्त्रोत है।"

{बुख़ारी व मुस्लिम}

✦✦✦

175. अबू मूसा अशअरी रज़ि0 कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि, "अल्लाह तआला रात को अपना हाथ फैलाता है ताकि रात में अगर किसी ने गुनाह किया है तो वह दिन में अपने रब की तरफ़ पलटे और गुनाहों की माफ़ी माँगे, अल्लाह तआला ऐसा ही करता रहेगा यहाँ तक कि सूरज मग़रिब (पश्चिम) से निकल आए (यानी क़यामत आजाऐ)"

{मुस्लिम}

अल्लाह के हाथ फैलाने का मतलब यह है कि वह अपने ख़तावार (अपराधी) बन्दों को बुलाता है कि मेरी तरफ़ आ, मेरी रहमत तुझे अपने दामन में लेने के लिए तैयार है, अगर तू ने वक़्ती तौर पर अपने नफ़्स (इच्छा) से हार कर रात में गुनाह कर डाला है तो दिन निकलते ही मुआफ़ी माँग, अगर देर लगाएगा तो शैतान मुझ से और तुझे दूर कर देगा और खुदा से दूर होते जाना आदमी की बरबादी है।

✦✦✦

176. *नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "अल्लाह बन्दों की तोबा साँस उखड़ने से पहले तक क़ुबूल करता है।"*

{तिरमिज़ी}

यानी अगर किसी ने अपनी सारी ज़िन्दगी गुनाह में बसर की हो लेकिन मौत की बेहोशी से पहले उसने सच्ची तोबा कर ली तो सब गुनाह मॉफ़ हो जाऐंगे लेकिन साँस उखड़ जाने के बाद जिसे सकरात की हालत कहते हैं, उस समय अगर माफ़ी माँगे गा तो उसको माफ़ी नहीं मिलेगी। इसलिए ज़रूरी है कि मौत देखने से पहले आदमी तोबा कर ले।

✦✦✦

177. *रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने*

फ़रमाया कि, "ऐ लोगों! अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी माँगो और उसकी तरफ़ पलटो, मुझे देखो, मैं दिन में सौ सौ बार अल्लाह से मग़फ़िरत (बख़्शिश) की दुआ करता हूँ।"

{मुस्लिम}

लोगों से मुहब्बत

178. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, "तू नेकी के काम को हक़ीर (तुच्छ) न समझ, तू अपने भाई से हँसमुख हो कर मिल यह भी नेकी है और अपने डोल का पानी अपने भाई के बर्तन में उंडेल दे वह भी नेकी है।"

✦✦✦

179. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, "दो आदमियों के बीच मेल करा दो, यह भी नेकी है तुम किसी को अपनी सवारी पर बिठालो, या उसका बोझ अपनी सवारी पर रख लो यह भी नेकी है। अच्छी बात कहना भी नेकी है। तुम्हारा हर क़दम जो नमाज़ के लिए उठता है नेकी है। रास्ते से काँटे, पत्थर हटा देना भी नेकी है।"

{बुख़ारी}

एक दूसरी हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फ़रमाया है कि अगर तुम ओहदे और रुतबे से

किसी आदमी को फ़ायदा पहुँचाओ, यह भी नेकी है अगर एक आदमी अपनी बात को अच्छे ढंग से बयान नहीं कर सकता और तुम्हें खुदा ने यह क़ाबिलयत दी है तो अपने भाई की वकालत करना और उसके मामले में सही सही बात कहना भी नेकी है। तुम्हें शक्ति दी गई है तो किसी कमज़ोर की मदद करो, यह भी नेकी है। तुम्हारे पास इल्म (ज्ञान) है तो दूसरों को सही बात बताना यह भी नेकी है।

✦✦✦

180. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा (रजि) को सम्बोधित करके फ़रमाया कि, "मेरी उम्मत पर वह वक़्त आने वाला है जब दूसरी क़ौमें उस पर इस तरह टूट पड़ेंगी जिस तरह खाने वाले लोग दस्तरख़्वान पर टूटते हैं।" तो किसी कहने वाले ने कहा कि जिस ज़माने का आप हाल बता रहे हैं उस ज़माने में क्या हम मुसलमान इतनी कम तादाद (संख्या) में होंगे कि हम को हड़प कर लेने के लिए क़ौमें मिल कर टूट पड़ेंगी? आप ने फ़रमाया, "नहीं उस ज़माने में तुम्हारी तादाद कम न होगी बल्कि तुम तादाद में बढ़े हुए होंगे लेकिन तुम सैलाब के झाग की तरह हो जाओगे और तुम्हारे दुश्मनों के सीने से तुम्हारा डर निकल जाएगा और तुम्हारे दिलों में कायरता पैदा हो जाएगी।" आप सल्ल0 ने फ़रमाया कि, इसकी वजह यह होगी

कि तुम (आख़िरत से मुहब्बत करने के बजाए) दुनिया से मुहब्बत करने लगोगे (और ख़ुदा के रास्ते में जान देने की ख़्वाहिश (इच्छा) रखने के बजाए) मौत से भागने और नफ़रत करने लगोगे।"

{अबू दाऊद}

181. इब्ने उमर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि, "जो शख़्स अपने भाई की जरूरत के समय उसके काम आएगा, अल्लाह उसकी जरूरत के वक़्त मदद करेगा।"

{बुख़ारी व मुस्लिम}

एक दूसरी हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फ़रमाया है कि, "अल्लाह ने अपने कुछ बन्दे, लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैदा किए हैं। जो लोग अपनी ज़रूरतें उन तक पहुँचाते हैं और वह पूरी कर देते हैं। यह लोग क़यामत के दिन अल्लाह के ग़ुस्से और अज़ाब से बचे रहेंगे।"

✦✦✦

आख़िरत की फ़िक्र

182. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने

फ़रमाया कि, "मुझे अपनी उम्मत के बारे में जिस बात का सब से ज़्यादा डर है वह यह है कि मेरी उम्मत अपनी ख़्वाहिशों के पूरा करने में लग जाएगी और अपनी दुनियावी जिन्दगी को बनाने और संवारने के लम्बे चौड़े मनसूबे (योजनाएं) बनाने में लग जाएगी और (मेरी उम्मत के नफ़्स की ख़्वाहिशों को पूरा करने का नतीजा यह होगा कि वह हक़ (सच्चाई) से दूर हो जाएगी और दुनिया (की जिन्दगी को संवारने और बनाने) के कार्यक्रम आख़िरत से ग़ाफ़िल कर देंगे। (ऐ लोगों!) यह दुनिया कूच कर चुकी है और जा रही है और आख़िरत कूच कर चुकी है आ रही है, और इन में से हर एक के मानने वाले हैं जो इससे मुहब्बत करते हैं तो यह अच्छा होगा कि तुम दुनिया के पुजारी न बनो। तुम इस समय अमल के घर में हो और हिसाब का समय नहीं आया है और कल तुम हिसाब के घर (आख़िरत) में होगे जहाँ अमल (कर्म) का मौक़ा न होगा।"

{मिश्कात, जाबिर रज़ि०}

183. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को नसीहत करते हुए यह बात फ़रमाई, "तुम पाँच चीजों को पाँच चीजों से पहले ग़नीमत समझो, अपनी जवानी को बुढ़ापा आने से

पहले, अपनी तन्दुरुस्ती को बीमारी से पहले, अपनी ख़ुशहाली को अपनी मोहताजी से पहले, अपनी फ़राग़त (अवकाश) को मशग़ूलियत से पहले और अपनी ज़िन्दगी को अपनी मौत से पहले।"

{*मिश्कात*}

अर्थात जवानी में खूब अमल कर लो क्योंकि बुढ़ापे में कोशिश करने के बावजूद कुछ न कर सकोगे और अपनी तन्दूरुस्ती को आख़िरत की तैयारी में लगाओ, हो सकता है कि बीमार पड़ जाओ और कुछ न कर सको और जब अल्लाह खुशहाली दे तो उससे आख़िरत का काम लो, हो सकता है कि तुम ग़रीब हो जाओ और फिर खुदा की राह में माल ख़र्च करने का मौक़ा ही न रहे। मतलब यह कि इस पूरी ज़िन्दगी को ग़नीमत समझो और उसको खुदा के काम में लगाओ वरना मौत आकर अमल (कर्म) के सारे मौक़ों और अवसरों को ख़त्म कर देगी।

✦✦✦✦✦✦✦